



कानपुर नगर निगम

मा० कार्यकारिणी समिति की बैठक जो दिनांक 22-06-2015

को सम्पन्न हुई, का कार्यवृत्त

सायं 03.30 बजे

स्थान: नगर निगम समिति कक्ष, मोतीझील, कानपुर

कार्यालय सचिव नगर निगम,  
नगर निगम, कानपुर

पत्र संख्या: डी / 73 / सचिव (न.नि.) / 15-16

दिनांक : 3-07-15

सेवामें

मा० श्री / श्रीमती / .....

पार्षद वार्ड सं०...../सदस्य कार्यकारिणी

महोदय / महोदया,


नगर निगम कार्यकारिणी समिति की दिनांक 22.06.2015 दिन सोमवार को सम्पन्न हुई बैठक का कार्यवृत्त आपकी सेवा में संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नक : कार्यवृत्त पृष्ठ संख्या 01 से 33 तक।

प्रतिलिपि:

1. नगर आयुक्त महोदय की सेवा में संज्ञानार्थ।
2. अपर नगर आयुक्त (आर/वी) महोदय को सूचनार्थ।
3. समस्त विभागाध्यक्ष/विभागाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(राम बली पाल)  
सचिव  
नगर निगम, कानपुर

  
सचिव  
नगर निगम, कानपुर

दिनांक-22.06.2015 दिन सोमवार को अपराह्न 03:30 बजे नगर निगम मुख्यालय स्थित समिति कक्ष में कार्यकारिणी समिति की सम्पन्न हुई बैठक का कार्यवृत्त :-

### उपस्थिति

1.	श्री जगतवीर सिंह द्रोण महापौर/सभापति		5.	श्री विनोद कुमार गुप्ता	प्रभारी अपर नगर आयुक्त
2.	श्री हाजी सुहैल अहमद	उप सभापति/सदस्य	6.	श्री राकेश कुमार गुप्ता	प्रभारी अपर नगर आयुक्त
3.	श्री कमलेश त्रिवेदी	पार्षद/सदस्य	7.	श्री तरुण कुमार शर्मा	मुख्य अभियंता "सिविल"
4.	श्री आलोक दुबे	पार्षद/सदस्य	8.	श्री राकेश मोहन अस्थाना	मुख्य अभियंता "वि०/यॉ०"
5.	श्री राकेश साहू	पार्षद/सदस्य	9.	श्री जवाहर राम	महाप्रबन्धक, जलकल
6.	श्री मदन लाल	पार्षद/सदस्य	10.	श्री राघवेन्द्र कुमार	सचिव, जलकल
7.	श्री कैलाश नाथ पाण्डेय	पार्षद/सदस्य	11.	डा० ए. के. सिंह	पशु चिकित्साधिकारी
8.	श्री आदर्श दीक्षित	पार्षद/सदस्य			
9.	श्री आशुतोष त्रिपाठी	पार्षद/सदस्य			
10.	श्री धीरेन्द्र कुमार त्रिपाठी	पार्षद/सदस्य			
11.	श्री नवीन पण्डित	पार्षद/सदस्य			
12.	श्रीमती पूनम द्विवेदी	पार्षद/सदस्य			
13.	श्री महेन्द्र नाथ शुक्ला	पार्षद/सदस्य			

### अधिकारीगण

1.	श्री उमेश प्रताप सिंह	नगर आयुक्त
2.	श्री अजय प्रताप सिंह	मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी
3.	श्री गंगा प्रसाद चौधरी	मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी
4.	श्री पंकज श्रीवास्तव	नगर स्वास्थ्य अधिकारी

अपरान्ह 03:30 बजे बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ हुई।

सभापति ने कार्यकारिणी की बैठक में प्रतिभाग कर रहे सभी सदस्यों एवं अधिकारियों का स्वागत करते हुये नगर आयुक्त से कार्यसूची के अनुसार बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करने के निर्देश दिये।

नगर आयुक्त के निर्देशों के क्रम में प्रभारी अपर नगर आयुक्त श्री विनोद कुमार गुप्त द्वारा कार्यसूची के अनुसार कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

बैठक कार्यवाही प्रारम्भ होते ही श्री महेन्द्र शुक्ला एवं श्री नवीन पण्डित के मध्य विवाद होने पर कक्ष में शोरगुल प्रारम्भ हो गया, जिसके कारण सभापति द्वारा बैठक की कार्यवाही 30 मिनट की लिये स्थगित की गई।

.....

अपरान्ह 04:00 बजे कार्यसूची की अनुसार बैठक की कार्यवाही पुनः प्रारम्भ हुई।

श्री नवीन पण्डित ने कहा कि सर्वप्रथम पूर्व कार्यकारिणी में लिये गये निर्णय पर चर्चा करते हुये उसकी अनुपालन आख्या से अवगत कराया जाये, जिसका समर्थन बैठक में उपस्थित अन्य सदस्यों ने भी किया।

सभापति ने नगर आयुक्त को निर्देश दिया कि सदस्यों को पूर्व की कार्यकारिणी की बैठकों में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या से अवगत कराया जाये।

श्री राकेश कुमार गुप्ता प्रभारी अपर नगर आयुक्त द्वारा पूर्व की कार्यकारिणी में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या पढ़ कर सुनाई गई तथा उसकी एक-एक प्रति सभी सदस्यों को उपलब्ध कराई गई।

श्री हाजी सुहेल अहमद, उप सभापति ने कहा कि किसी-किसी वार्ड में चार-चार करोड़ के कार्य हुये और किसी-किसी वार्ड में कोई कार्य नहीं कराया गया है, यह स्थिति आपत्तिजनक है।

मुख्य अभियन्ता द्वारा स्पष्ट किया गया कि शहर की विभिन्न मुख्य सड़कें कई-कई वार्डों से होकर गुजरती हैं जिनके निर्माण/मरम्मत में लगभग 30-40 लाख रुपये का व्यय अनुमानित था, उनको बिना किसी भेद-भाव के चिन्हित कर कार्य योजना तैयार कराकर कार्य कराया गया है।

श्री हाजी सुहेल अहमद, उप सभापति ने कहा कि तेरहवें वित्त आयोग का पैसा खपाने के लिये ही विभिन्न क्षेत्रों में नालों का निर्माण कराया जा रहा है, विभिन्न गरीब बस्तियों यथा आजाद नगर, फजलगंज, जरीब चौकी आदि विभिन्न क्षेत्रों में सीवर लाइन न होने के कारण मल सीधे नाली/नाले में डाल देते हैं, जो जन स्वास्थ्य के लिये हानिकारक है।

मुख्य अभियन्ता ने स्पष्ट किया कि इस प्रकार की गरीब बस्तियों में सीवर लाइन डालने का प्रस्ताव उपलब्ध करा दिया जाये, जिस पर शीघ्र कार्यवाही की जायेगी। नाले का निर्माण जलभराव की समस्या के निराकरण हेतु कराया जाता है और जे.एन.एन.यू.आर.एम. योजना के अन्तर्गत प्रथम चरण के सीवर का कार्य प्रगति पर व पूर्ण होने की स्थिति में है।

बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा बताया गया कि जे.एन.एन.यू.आर.एम. के अन्तर्गत पूर्ण हुये, चल रहे तथा प्रस्तावित कार्यों की जानकारी क्षेत्रीय पार्षद को उपलब्ध नहीं कराई जाती है, जिसके कारण भ्रम की स्थिति बनी रहती है।

सभापति ने जल निगम को निर्देशित किया कि दिनांक 29.06.2015 दिन सोमवार को सायंकाल 04:00 बजे जे.एन.एन.यू.आर.एम. के अन्तर्गत संचालित/प्रगति पर एवं पूर्ण कार्यों का प्रस्तुतिकरण किया जाये ताकि सदस्य भी कार्यों की स्थिति से अवगत हो सकें।

श्री हाजी सुहेल अहमद, उपसभापति द्वारा सुझाव दिया गया कि सीसामऊ नाले का गन्दा पानी सीधे गंगा जी में गिर रहा है, जिससे गंगा का जल प्रदूषित हो रहा है।

नगर आयुक्त ने स्पष्ट किया कि सीसामऊ नाले की एस.टी.पी. बनाने के लिये भारत सरकार स्वच्छ गंगा मिशन के निदेशक द्वारा निरीक्षण किया जा चुका है तथा बैठक में निदेशक द्वारा अवगत कराया गया था कि भारत सरकार से उक्त कार्य हेतु धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है, शीघ्र कार्यवाही की जायेगी।

सभापति ने निर्देश दिया कि भविष्य में प्रत्येक वार्ड में कराये जाने वाले विकास कार्यों में समानता रखी जाये।

श्री हाजी सुहेल अहमद, उप सभापति द्वारा अवगत कराया गया कि सडकों, पार्को का नामकरण शहीदों के नाम से किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव मुख्य अभियन्ता को प्रेषित किये गये थे, जो उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं।

मुख्य अभियन्ता द्वारा स्पष्ट किया गया कि कार्यालय में प्राप्त प्रस्ताव नामकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत कर कार्यवाही की जा रही है। यदि त्रुटिवश कोई प्रस्ताव छूट गया हो तो उसके सम्बन्ध में पत्र दे दिया जाये, तो उसको भी समिति के समक्ष प्रस्तुत कर कार्यवाही की जायेगी।

कार्यकारिणी समिति की बैठक में कतिपय सदस्यों के मध्य जोर-जोर से बातचीत होने व शोरगुल सुनकर विभिन्न प्रतिष्ठित समाचार पत्रों के पत्रकार व फोटोग्राफर समिति कक्ष में पहुँच गये जिस पर मा० सभापति द्वारा शोर गुल शान्त होने पर कहा गया कि कार्यकारिणी/सदन की बैठक जन समस्याओं को उठाने व उनपर निर्णय लिये जाने के लिये होती है। कार्यकारिणी समिति व सदन की बैठक में पत्रकार व छायाकार बैठक कक्ष में उपस्थित रहे, यह उचित नहीं है। सभापति ने बैठक में उपस्थित सदस्यों से कहा कि सदस्यों का इस प्रकार का व्यवहार कार्यकारिणी समिति की गरिमा के विरुद्ध है। क्षेत्रीय जनता ने आपको निर्वाचित कर इसलिये भेजा है कि आप उनकी जनसमस्याओं को प्रबलता से प्रस्तुत कर उसका निराकरण करायेंगे न कि बैठक के समय कक्ष के बाहर बैनर लगाकर नारेबाजी करेंगे। सभापति ने सभी सदस्यों से आग्रह किया कि आप पूरे सम्मान के साथ अनुशासित रहकर बैठक में अपनी समस्याओं को प्रस्तुत करें। बैठक हेतु प्रसारित प्रस्ताव पर चर्चा होगी।

प्रस्ताव संख्या-1033 नगर आयुक्त के पत्र संख्या:डी/ 37 /न.आ./प्रो.सेल/ 2015-16

दिनांक: 17जून, 2015 को मा. कार्यकारिणी के माध्यम से

मा. सदन की स्वीकृति हेतु।

:-प्रस्ताव:-

कानपुर नगर में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट परियोजना के अन्तर्गत पनकी भवसिंह में प्रसंस्करण प्लान्ट की स्थापना का कार्य जेएनएनयूआरएम योजना में कराया गया था, परन्तु कार्य हेतु अनुबन्धित फर्म मेसर्स ए2जेड इन्फ्रा. लि. द्वारा विगत 15 माह से कार्य बन्द कर देने के कारण उक्त स्थल पर अत्यधिक मात्रा में कूड़ा एकत्र हो गया है, जिसके कारण पर्यावरण प्रदूषण की समस्या बढ़ी है। मेसर्स सीबरी ग्रीन एनर्जी प्रा. लि., मैसूर के प्रबन्ध निदेशक ने नगर निगम द्वारा संदर्भित स्थल तक पहुँचाये जा रहे कूड़े को प्रसंस्कृत कर इससे एनर्जी उत्पादन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, जिसके मुख्य बिन्दु निम्नवत् हैं:-

1. मे. सीबरी ग्रीन एनर्जी प्रा. लि., मैसूर द्वारा कूड़ें के प्रसंस्करण हेतु कोई भी शुल्क अथवा टिपिंग फी नगर निगम से वसूली नहीं जायेगी। नगर निगम को स्थल पर मात्र कूड़े को पहुँचाना होगा।
2. 1200 मीट्रिकटन कूड़ें के निस्तारण हेतु 10 एकड़ भूमि की आवश्यकता होगी, जो नगर निगम द्वारा लीज पर संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी।
3. लीज अवधि 25 वर्ष होगी। 25 वर्षों की समाप्ति पर स्थापित किये जाने वाले प्लान्ट को संस्था द्वारा नगर निगम को हस्तगत कर दिया जायेगा।
4. एनर्जी के निर्माण में प्लाजमा तकनीक का प्रयोग किया जायेगा, जिसके अन्तर्गत प्लाजमा गैसीफायर के माध्यम से कूड़ें को अत्यधिक उच्च तापक्रम पर नियन्त्रित प्रक्रिया के अनुसार जलाकर सिनगैस का उत्पादन किया जायेगा, जिसका प्रयोग एनर्जी पैदा करने में होगा एवं इस प्रक्रिया में कोई भी गैस वातावरण में नहीं आयेगी।
5. प्लान्ट पर स्थापित किये जाने वाले बायलर हेतु पानी की व्यवस्था भी संस्था द्वारा स्वयं उक्त प्रक्रिया से की जायेगी।
6. संस्था द्वारा उम्पादित एनर्जी को उ.प्र. राज्य विद्युत बोर्ड को विक्रय किया जायेगा एवं इस हेतु समस्त कार्यवाही- अनुबन्ध आदि संस्था द्वारा अपने स्तर से सम्पादित किये जायेंगे।
7. वर्तमान में स्थल पर उपलब्ध कूड़ें का प्रसंस्करण भी संस्था द्वारा किया जायेगा।
8. कूड़ें के प्रसंस्करण के दौरान कूड़ें में उपस्थित अज्वलनशील तत्वों- निर्माण सामग्री व अन्य को पृथक कर दिया जायेगा, जिसका प्रयोग नगर निगम द्वारा सड़क निर्माण या लैण्डफिल हेतु किया जा सकेगा।
9. लीज अनुबन्ध, उ.प्र. राज्य विद्युत बोर्ड से Power Purchase Agreement (PPA), EIA एवं अन्य समस्त clearances के प्राप्त हो जाने के उपरान्त प्लान्ट का निर्माण लगभग 12 माह में पूर्ण कर लिया जायेगा। वर्तमान में कूड़ें के प्रसंस्करण के सम्बन्ध में कोई भी कार्यवाही प्रगति पर नहीं है एवं लगातार एकत्र हो रहे कूड़ें के कारण भविष्य में जनमानस पर इसका सीधा असर पडने की सम्भावना से इंकार भी नहीं किया जा सकता है, अतः पर्यावरण सुरक्षा के साथ-साथ जनमानस के स्वास्थ्य के दृष्टिगत उपरोक्तानुसार प्राप्त प्रस्ताव, जिसमें नगर निगम को कोई वित्तीय भार भी वहन नहीं करना है, कार्य हेतु लीज पर दी जाने वाली 10 एकड़ भूमि की सांकेतिक लीज दरें निर्धारित करने एवं प्रस्ताव को मा. सदन से स्वीकृत कराये जाने हेतु मा. कार्यकारिणी समिति के समक्ष प्रस्तुत है।

..... स्वीकृति प्रदान करते हुये सदन को अग्रसारित किया गया।

**प्रस्ताव संख्या-1034** नगर आयुक्त महोदय द्वारा अभियन्त्रण खण्ड-1 के अर्न्तगत निम्नांकित कार्य की स्वीकृतोपरान्त नगर निगम अधिनियम की धारा 132 (5)के अर्न्तगत मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष सूचनार्थ प्रस्तुत है।

**विषय:-जोन-1 वार्ड 104 मे अर्न्तगत बेकनगंज बाजार से हरी मस्जिद गेट तक गली का सुधार कार्य।**

उपरोक्त कार्य की स्वीकृति सक्षम स्तर से दिनांक 26.12.2014 को घनांक रू0 599146.00 की प्राप्त हो चुकी है,जिसके क्रम में कार्य की निविदायें ई टेण्डरिंग के माध्यम से दिनांक 19.02.2015 को आमंत्रित की गई थी जो मुख्य अभियन्ता कार्यालय में उपस्थित ठेकेदारों /उनके प्रतिनिधियों के समक्ष दिनांक 19.02.2015 को खोली गयी।जिसमें तीन निविदा प्राप्त हुई प्राप्त वैध निविदा में से सर्व न्यून निविदादाता मे0 एस.ए.बिल्डर्स की निविदा आगणन से 0.53%निम्न

ह0.....महापौर

पर धनांक रू 595970.00की प्राप्त हुई है। दरें उचित एवं कार्यहित में स्वीकृत योग्य है। उक्त कार्य का भुगतान राज्य वित्त आयोग से प्राप्त बजट हेड 2305007 से किया जाना प्रस्तावित

अतःमा0 कार्यकारणी समिति को नगर निगम अधिनियम की धारा 132(5)के अर्न्तगत प्रस्ताव सूचनार्थ प्रेषित है।

..... पढ़ा गया।

**प्रस्ताव संख्या-1035** नगर आयुक्त महोदय द्वारा अभियन्त्रण खण्ड-1 के अर्न्तगत निम्नांकित कार्य की स्वीकृतोपरान्त नगर निगम अधिनियम की धारा 132 (5)के अर्न्तगत मा0 कार्यकारणी समिति के समक्ष सूचनार्थ प्रस्तुत है।

**विषय:-जोन-1 वार्ड 104 मे अर्न्तगत मोहम्मदिया हास्पिटल से हरी मस्जिद गेट तक गली का सुधार कार्य।**

उपरोक्त कार्य की स्वीकृति सक्षम स्तर से दिनांक 26.12.2014 को धनांक रू0 930416.00 की प्राप्त हो चुकी है,जिसके क्रम में कार्य की निविदायें ई टेण्डरिंग के माध्यम से दिनांक 19.02.2015 को आमंत्रित की गई थी जो मुख्य अभियन्ता कार्यालय में उपस्थित ठेकेदारों /उनके प्रतिनिधियों के समक्ष दिनांक 19.02.2015 को खोली गयी जिसमें तीन निविदा प्राप्त हुई प्राप्त वैध निविदा में से सर्व न्यून निविदादाता मे0 एस.ए.बिल्डर्स की निविदा आगणन से 0.57%निम्न पर धनांक रू 925112.00की प्राप्त हुई है। दरें उचित एवं कार्यहित में स्वीकृत योग्य है। उक्त कार्य का भुगतान राज्य वित्त आयोग से प्राप्त बजट हेड 2305007 से किया जाना प्रस्तावित है। कार्य की स्वीकृति नगर आयुक्त द्वारा दिनांक 10.03.2015 को प्रदान कर दी गयी है।

अतः मा0 कार्यकारणी समिति को नगर निगम अधिनियम की धारा 132(5)के अर्न्तगत प्रस्ताव सूचनार्थ प्रेषित है।

..... पढ़ा गया।

**प्रस्ताव संख्या-1036** नगर आयुक्त महोदय द्वारा अभियन्त्रण खण्ड-1 के अर्न्तगत निम्नांकित कार्य की स्वीकृतोपरान्त नगर निगम अधिनियम की धारा 132 (3)के अर्न्तगत मा0 कार्यकारणी समिति के समक्ष स्वीकृतार्थ प्रस्तुत है।

**विषय:-जोन-1 वार्ड 21 के अर्न्तगत रायपुरवा अर्न्तगत गर्ग रोड चौराहे से बाल भारती स्कूल एवं 87/172 से 87/212 तक सड़क एवं नाली का सुधार कार्य।**

उपरोक्त कार्य की स्वीकृति सक्षम स्तर से दिनांक 28.11.2014 को धनांक रू0 1685653.00 की प्राप्त हो चुकी है,जिसके क्रम में कार्य की निविदायें दिनांक 19.02.2015 को आमंत्रित की गई थी।उपरोक्त कार्य में तीन निविदा प्राप्त हुई प्राप्त वैध निविदा में से सर्वन्यून निविदादाता मे0 जगदम्बा इन्टरप्राइजेज की निविदा आगणन से 9.00%निम्न पर धनांक रू0 1533944.00की प्राप्त हुई है।दरें उचित एवं कार्यहित में स्वीकृत योग्य है। उक्त कार्य का भुगतान राज्य वित्त आयोग से प्राप्त बजट हेड 2305007 से किया जाना प्रस्तावित है।

अतः न्यूनतम निविदादाता मे० जगदम्बा इन्टरप्राइजेज की निविदा आगणन से 9.00%निम्न पर धनांक रू० 1533944.00 की स्वीकृति योग्य है। कार्य की स्वीकृति हेतु मा० कार्यकारिणी समिति के समक्ष नगर निगम अधिनियम की धारा 132(3)के अन्तर्गत निविदा स्वीकृतार्थ प्रेषित है।

..... स्वीकृति प्रदान की गई।

नगर आयुक्त महोदय द्वारा अभियन्त्रण खण्ड-3 के अन्तर्गत निम्नान्वित कार्यों के स्वीकृतोपरान्त नगर निगम अधिनियम की धारा 132(5)के अन्तर्गत माननीय कार्यकारिणी समिति के समक्ष सूचनार्थ प्रस्तुत है।

प्र० सं०	कार्य का नाम	मद	आगणन धनांक	निविदा दर	निविदा धनांक	टेकेदार का नाम	निर्णय
1037	जोन 03 वार्ड 12 के अन्तर्गत आनन्दपुरी में मकान नं० 267 से 279 तक सड़क एवं नाली का सुधार कार्य।	5(3)B	923174.00	3.30 % निम्न	892710.00	मेसर्स जगदम्बा ई० प्रा०	पढ़ा गया
1038	जोन 03 वार्ड 24 के अन्तर्गत मंदाकिनी होटल के सामने इन्टरलाकिंग द्वारा साइट पटरी का सुधार कार्य।	5(3)B	994090.00	15.00% निम्न	844977.00	मेसर्स युनिटी कान्स० एण्ड सप्लायर्स	पढ़ा गया
1039	जोन 03 वार्ड 25 के अन्तर्गत ब्लाक नं० 61 से 62 एवं ब्लाक नं० 57 एवं 58 के मध्य गली में नाली कासिंग एवं सड़क का सुधार कार्य।	5(3)B	754798	13.99% निम्न	649202.00	मेसर्स श्वेता ई० प्रा०	पढ़ा गया
1040	जोन 03 वार्ड 54 के अन्तर्गत खटिकाना मलिन बस्ती के आन्तरिक गलियों एवं नालियों का सुधार कार्य।	5(3)B	868484.00	6.12% निम्न	815333.00	मेसर्स गणेश नारायण अवस्थी	पढ़ा गया
1041	जोन 03 वार्ड 54 के अन्तर्गत बाबूपुरवा कालोनी में ब्लाक नं० 265 से ब्लाक नं० 267 तक इन्टरलाकिंग टाइल्स सड़क एवं नाली का सुधार कार्य।	5(3)B	782099.00	15.00% निम्न	664784.00	मेसर्स लखन कान्स० कं०	पढ़ा गया
1042	जोन 03 वार्ड 54 के अन्तर्गत बाबूपुरवा कालोनी में ब्लाक नं० 268 से ब्लाक नं० 270 तक इन्टरलाकिंग टाइल्स द्वारा सड़क एवं नाली का सुधार कार्य।	5(3)B	739358.00	10.04% निम्न	665127.00	मेसर्स सिंह इन्जीनियर	पढ़ा गया
1043	जोन 03 वार्ड 55 के अन्तर्गत पूर्व डी० एम० के आवास से लेकर श्रीराम पब्लिक स्कूल तक साइड पटरी ओर नाली का सुधार कार्य।	5(3)B	609766.00	15.00% निम्न	518301.00	मेसर्स कृष्णा ट्रेडर्स	पढ़ा गया
1044	जोन 03 वार्ड 55 के अन्तर्गत वाई ब्लाक मकान नं० 128/248 से 80 मी० की लम्बाई मे इन्टरलाकिंग द्वारा सड़क एवं नाली का सुधार कार्य।	5(3)B	639576.00	15.00% निम्न	543640.00	मेसर्स अनमोल ई० प्रा०	पढ़ा गया



1045	जोन 03 वार्ड 55 के अन्तर्गत ब्रह्मस्पति महिला कालेज से लेकर मदर टेरेसा स्कूल तक साइट पटरी एवं नाली का सुधार कार्य।	5(3)B	1075857.00	15.00% निम्न	914479.00	मेसर्स बाबा गोरकरन नाथ बिल्डर्स	पढ़ा गया
1046	जोन 03 वार्ड 58 के अन्तर्गत महेन्द्र कुशवाहा के मकान से आशीष के मकान के समीप तक नाली एवं इन्टरलाकिंग टाइल्स द्वारा सड़क सुधार कार्य।	5(3)B	859545.00	15.00% निम्न	501113.00	मेसर्स बाबा गोरकरन नाथ बिल्डर्स	पढ़ा गया
1047	जोन 03 वार्ड 75 के अन्तर्गत ब्लॉक नं० 26/11 से ब्लॉक नं० 22 तक सड़क व नाली का सुधार कार्य।	5(3)B	774073.00	2.84% निम्न	752089.00	मेसर्स डी० सिंह	पढ़ा गया
1048	जोन 03 वार्ड 80 के अन्तर्गत मकान नं० ए-191 एवं 217 एवं ए-192 से 204 तक सड़क एवं नाली का सुधार कार्य।	5(3)B	723297.00	0.5% निम्न	719681.00	मेसर्स पारस ई० प्रा०	पढ़ा गया
1049	जोन 03 वार्ड 80 के अन्तर्गत मकान नं० ए-549 से ए-575 एवं ए-576 से ए-591 तक सड़क एवं नाली का सुधार कार्य।	5(3)B	723297.00	0.75% निम्न	717872.00	मेसर्स पारस ई० प्रा०	पढ़ा गया
1050	जोन 03 वार्ड 80 के अन्तर्गत मकान नं० सी०-736 से सी०-749 एवं सी०-443 से सी०-459 तक सड़क एवं नाली का सुधार कार्य।	5(3)B	730557.00	0.25% निम्न	728731.00	मेसर्स पारस ई० प्रा०	पढ़ा गया
1051	जोन 03 वार्ड 80 के अन्तर्गत एच०आई०जी० ए-1/12 से एच०आई०जी० ए-1/16 तक सड़क व नाली का सुधार कार्य।	5(3)B	887305.00	0.75% निम्न	880650.00	मेसर्स पारस ई० प्रा०	पढ़ा गया
1052	जोन 03 वार्ड 83 के अन्तर्गत मकान नं० 1277/343 विजय वर्मा के मकान सं वेषो देवी मन्दिर रोड तक नाली व कांसिंग का निर्माण कार्य।	5(3)B	983150.00	0.5% निम्न	978234.00	मेसर्स सुधा कान्स०	पढ़ा गया
1053	जोन 03 वार्ड 88 के अन्तर्गत मकान नं० ई/239डी/एस से ई० डब्लू एस० 394 में नाली एवं इन्टरलाकिंग टाइल्स द्वारा सड़क का सुधार कार्य	5(3)B	741422.00	15.00% निम्न	630208.00	मेसर्स गणेश एण्ड कं०	पढ़ा गया
1054	जोन 03 वार्ड 90 के अन्तर्गत 250 फिट रोड से नलकूप तक सड़क, नाली एवं फुटपाथ का सुधार कार्य।	5(3)B	1154005.00	9.99% निम्न	980905.00	मेसर्स अभिषेक ई० प्रा०	पढ़ा गया
1055	जोन 03 वार्ड 90 के अन्तर्गत साइट नं० 1 में ब्लॉक नं० 34 से 40 तक सर्विस लेन का सुधार कार्य।	5(3)B	749452.00	3.92% निम्न	720074.00	मेसर्स मॉ एन डी० ई० प्रा०	पढ़ा गया
1056	जोन 03 वार्ड 108 के अन्तर्गत मकान नं० 131/132,131/128,131/345 एवं 131/1 से ब्लॉक नं०-45/1 के पास इन्टरलाकिंग टाइल्स द्वारा ऑटोरिक गलियों का सुधार कार्य।	5(3)B	537033.00	0.10% निम्न	536496.00	मेसर्स मून कान्स०	पढ़ा गया

नगर आयुक्त महोदय द्वारा अभियन्त्रण खण्ड-3 के अन्तर्गत निम्नान्कित कार्यों के स्वीकृतोपरान्त नगर निगम अधिनियम की धारा 132(3)के अन्तर्गत माननीय कार्यकारिणी समिति के समक्ष स्वीकृतार्थ प्रस्तुत है।

प्र0सं0	कार्य का नाम	मद	आगणन धनांक	निविदा दर	निविदा धनांक	ठेकेदार का नाम	निर्णय
1057	जोन 03 वार्ड 23 क अन्तर्गत एम ब्लाक मे मकान नं0 133/172 से पाल कब्रिस्तान के सामने तक सड़क नाली एवं फुटपाथ का सुधार कार्य।	5(3)B	1148837	11.9 % निम्न	1012125.00	मेसर्स साहिल ट्रेडर्स	स्वीकृत
1058	जोन 03 वार्ड 24 के अन्तर्गत केशव नगर में मकान नं0 127/699/डब्लू0 से 127/708/डब्लू0 तक सड़क फुटपाथ व नाली का सुधार कार्य।	5(3)B	1360069.00	15.00 % निम्न	1156059.00	मेसर्स श्वेता ई0 प्रा0	स्वीकृत
1059	जोन 03 वार्ड 54 के अन्तर्गत बाबू पुरवा कालोनी में गुरु देव टैगोर स्कूल से मकान नं0 323 होते हुए मकान नं0 314 तक फुटपाथ एवं नाली का सुधार कार्य।	5(3)B	1443797	3.64 % निम्न	1391243.00	मेसर्स सिकन्दर सप्लायर्स	स्वीकृत
1060	जोन 03 वार्ड 54 के अन्तर्गत बाबूपुरवा कालोनी में पुराना सेन्टर चोराहा से नया सेन्टर तक इण्टरलाकिंग टाइल्स द्वारा साइड पटरी का सुधार कार्य।	5(3) B	1495924.00	15.00 % निम्न	1271535.00	मेसर्स आलोक श्रीवास्तव	स्वीकृत
1061	जोन 03 वार्ड 58 के अन्तर्गत डब्लू0 02 बसंत बिहार में मकान नं0 1255-डब्लू0 02 से मकान नं0 1293-डब्लू0 02 तक फुटपाथ व नाली का सुधार कार्य।	5(3)B	1398168.00	15.00 % निम्न	1188443.00	मेसर्स अंकित बिल्डर्स	स्वीकृत
1062	जोन 03 वार्ड 81 के अन्तर्गत सेक्टर आई में मकान नं0 आई-956 से आई0-365 तक इण्टरलाकिंग टाइल्स द्वारा फुटपाथ एवं नाली का सुधार कार्य।	5(3)B	1344662.00	15.00 % निम्न	1142963.00	मेसर्स अंकित बिल्डर्स	स्वीकृत
1063	जोन 03 वार्ड 88 के अन्तर्गत गुन्जन विहार मे शिवम् पी0सी0ओ0 से परिहार के मकान होते हुये एल0आई0जी0-344 तक नाली एवं इण्टरलाकिंग टाइल्स द्वारा सड़क का सुधार कार्य।	5(3)B	1499137.00	13.70 % निम्न	1293755.00	मेसर्स तिवारी एण्ड ब्रदर्स	स्वीकृत
1064	जोन 03 वार्ड 88 के अन्तर्गत के0 ब्लाक के0-13 से के-25 एवं के-36 से के0-47 तक सड़क एवं नाली का सुधार कार्य।	5(3)B	1194097.00	15.00 % निम्न	1014982.00	मेसर्स बजरंग ई0 प्रा0	स्वीकृत
1065	जोन 03 वार्ड 90 के अन्तर्गत एच0 ब्लाक में मकान नं0-220 से 211 तक सड़क फुटपाथ एवं नाली का सुधार कार्य।	5(3)B	1431853.00	15.00 % निम्न	1217075.00	मेसर्स अभिषेक ई0 प्रा0	स्वीकृत

अभियन्त्रण खण्ड-4  
मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष सूचनार्थ प्रेषित

प्र0सं0	कार्य का नाम	मद	आगणन घनांक	निविदा घनांक	दर	ठेकेदार/ फर्म का नाम	निर्णय
1066	जोन-4 वार्ड 78 के अन्तर्गत मकान नं0 105/305 से 105/298 तक गली का इण्टरलाकिंग टाइल्स द्वारा सुधार एवं जल निकासी का कार्य।	राज्य वित्त आयोग	5,17,326.00	5,17,326.00	आगणन दर पर	मे0 एफ0आर0 इण्टरप्राइजेज	पढ़ा गया
1067	जोन-4 वार्ड 22 बेनाझाबर के अन्तर्गत नेहरू हाल बाउण्ड्री 112/31 के सामने से 8/2 एलेनगंज मुख्य मार्ग का इण्टरलाकिंग टाइल्स द्वारा सुधार कार्य।	राज्य वित्त आयोग	6,07,110.00	5,34,196.00	आगणन दर से 12.01 प्रतिशत निम्न	मे0 सत्या कान्स्ट्रक्शन कम्पनी	पढ़ा गया
1068	जोन-4 वार्ड 22 बेनाझाबर स्थित आजाद मैदान में इण्टरलाकिंग टाइल्स लगाने का कार्य।	राज्य वित्त आयोग	6,23,830.00	5,30,256.00	आगणन दर से 15.0 प्रतिशत निम्न	मे0 सतगुरु इण्टरप्राइजेज	पढ़ा गया
1069	जोन-4 वार्ड 15 के अन्तर्गत 14/18 से डिप्टी आफिसर तक तथा नीलम रोमिला सिंह के मकान की बायीं ओर एवं इमरान टेलीकाम से होते हुये एस0ए0 टावर तक साईड पटरी का इण्टरलाकिंग टाइल्स द्वारा सुधार कार्य।	राज्य वित्त आयोग	8,85,518.00	7,52,690.00	आगणन दर से 15.0 प्रतिशत निम्न	मे0 परिहार इण्टरप्राइजेज	पढ़ा गया
1070	जोन-4 वार्ड 65 के अन्तर्गत मकान नं0 106/89 से 106/94 एवं डालडा वाली गली में इण्टरलाकिंग टाइल्स लगाने एवं जल निकासी हेतु भूमिगत पाइप डालने का कार्य।	राज्य वित्त आयोग	10,00,000.00	9,48,605.00	आगणन दर से 5.13 प्रतिशत निम्न	मे0 परिहार इण्टरप्राइजेज	पढ़ा गया
1071	जोन-4 वार्ड 65 के अन्तर्गत मकान नं0 106/80 से 106/135 तक गली में इण्टरलाकिंग टाइल्स लगाने एवं कर्व स्टोन द्वारा नाली का निर्माण कार्य।	राज्य वित्त आयोग	6,88,745.00	5,85,433.00	आगणन दर से 15.0 प्रतिशत निम्न	मे0 आशू कान्स्ट्रक्शन कम्पनी	पढ़ा गया
1072	जोन-4 वार्ड 01 पुराना कानपुर के अन्तर्गत मन्दिर से सर्वेन्ट क्वार्टर तक गली का इण्टरलाकिंग टाइल्स द्वारा सुधार कार्य।	सड़क क्षति के सापेक्ष	7,82,815.00	6,65,392.00	आगणन दर से 15.0 प्रतिशत निम्न (लाटरी के आधार पर)	मे0 नन्दनी कान्स्ट्रक्शन	पढ़ा गया
1073	जोन-4 वार्ड 06 के अन्तर्गत दिलदार खान के मकान वाली एवं डॉ0 सरोज गौतम से मुख्य मार्ग तक भूमिगत लाईन डालने एवं फुटपाथ पर इण्टरलाकिंग टाइल्स लगाने का कार्य।	राज्य वित्त आयोग	6,03,675.00	5,13,124.00	आगणन दर से 15.0 प्रतिशत निम्न	मे0 एस0ए0 बिल्डर्स	पढ़ा गया
1074	जोन-4 वार्ड 49 के अन्तर्गत चाट चौराहे से रतन एम0आर0आई0 तक सड़क के दोनों ओर नाली का सुधार कार्य।	नाली/नाला अनुरक्षण	6,82,745.00	5,94,056.00	आगणन दर से 12.99 प्रतिशत निम्न	मे0 श्रीनाथ जी कान्स्ट्रक्शन	पढ़ा गया

1075	जोन-4 वार्ड 01 पुराना कानपुर के अन्तर्गत मकान नं0 4/72, 4/75, 4/65, 4/69, 4/78, 4/80, 4/97, 5/12 से 5/198 तक गली में इण्टरलाकिंग टाइल्स लगाने एवं नाली सुधार कार्य।	राज्य वित्त आयोग	8,28,744.00	7,19,930.00	आगणन दर से 13.13 प्रतिशत निम्न	मे0 परिहार इण्टरप्राइजेज	पढ़ा गया
------	---	---------------------	-------------	-------------	--------------------------------------	-----------------------------	----------

**मा0 कार्यकारिणी के समक्ष स्वीकृतार्थ प्रेषित**

प्र0सं0	कार्य का नाम	मद	आगणन घनांक	निविदा घनांक	दर	ठेकेदार/ फर्म का नाम	निर्णय
1076	जोन-4 वार्ड 22 के अन्तर्गत बेनाझाबर भट्टा सड़क का हाटमिक्स प्लान्ट द्वारा एवं फुटपाथ का इण्टरलाकिंग टाइल्स द्वारा सुधार कार्य।	राज्य वित्त आयोग	13,80,386.00	12,56,151.00	आगणन दर से 9.0 प्रतिशत निम्न	मे0 जगदम्बा इण्टरप्राइजेज	स्वीकृत
1077	जोन-4 वार्ड 76 के अन्तर्गत 11/71 से झण्डे वाला चौराहा तक सड़क का हाटमिक्स प्लान्ट द्वारा सुधार कार्य।	राज्य वित्त आयोग	14,90,879.00	13,56,700.00	आगणन दर से 9.0 प्रतिशत निम्न	मे0 जगदम्बा इण्टरप्राइजेज	स्वीकृत
1078	जोन-4 वार्ड 01 के अन्तर्गत पुराना कानपुर उपवन आपर्टमेन्ट से सृष्टि आपर्टमेन्ट तक नाली एवं फुटपाथ एवं रतन रेजीडेन्सी से सृष्टि आपर्टमेन्ट तक सबग्रेड का कार्य।	राज्य वित्त आयोग	14,48,360.00	12,45,444.00	आगणन दर से 14.01 प्रतिशत निम्न	मे0 रामकिशोर	स्वीकृत
1079	जोन-4 वार्ड 13 के अन्तर्गत खलासी लाईन में 7/65 से वी0आई0पी0 रोड़ तक सड़क का हाटमिक्स प्लान्ट द्वारा सुधार कार्य।	राज्य वित्त आयोग	17,97,095.00	16,35,356.00	आगणन दर से 9.0 प्रतिशत निम्न	मे0 जगदम्बा इण्टरप्राइजेज	स्वीकृत
1080	जोन-4 वार्ड 49 के अन्तर्गत बाबा भोलेश्वर मन्दिर से ग्वालिन चौराहा तथा फ्रेन्ड्स कालोनी में नाली का सुधार कार्य।	नाली/नाला अनुरक्षण	14,82,118.00	12,59,800.00	आगणन दर से 15.0 प्रतिशत निम्न	मे0 सत्या कान्स्ट्रक्शन कम्पनी	स्वीकृत
1081	जोन-4 वार्ड 15 के अन्तर्गत विक्टोरिया मिल गेट से एस0एस0पी0 आवास होते हुए 14/100 हनीमैन तिराहा तक सड़क का हाटमिक्स प्लान्ट द्वारा सुधार कार्य।	राज्य वित्त आयोग	18,50,718.00	15,73,110.00	आगणन दर से 15.0 प्रतिशत निम्न (लाटरी के आधार पर)	मे0 अभिषेक इण्टरप्राइजेज	स्वीकृत
1082	जोन-4 वार्ड 01 पुराना कानपुर के अन्तर्गत जल संस्थान कालोनी में राम स्वरूप कि घर से शिवपाल के घर तक एवं गोदाम के पास गली का इण्टरलाकिंग टाइल्स द्वारा सुधार कार्य।	सड़क अनुरक्षण	14,59,125.00	12,40,256.00	आगणन दर से 15.0 प्रतिशत निम्न (लाटरी के आधार पर)	मे0 सिमरन ट्रेडर्स	स्वीकृत

1083	जोन-4 वार्ड 01 पुराना कानपुर के अन्तर्गत रानीघाट मन्दिर, हास्टल एवं गौशाला के पास गलियों का इण्टरलाकिंग टाइल्स द्वारा सुधार कार्य।	25 प्रतिशत निर्धन नगरीय सुविधा	12,11,810.00	10,30,039.00	आगणन दर से 15.0 प्रतिशत निम्न (लाटरी के आधार पर)	मे0 विशाल कान्स्ट्रक्शन	स्वीकृत
1084	जोन-4 वार्ड 01 पुराना कानपुर के अन्तर्गत मकान नं0 5/162, 5/95-ई, तिवारीघाट मन्दिर के पास 5/74 से 5/57 के पास गली का इण्टरलाकिंग टाइल्स द्वारा सुधार कार्य।	राज्य वित्त आयोग	12,60,494.00	10,71,420.00	आगणन दर से 15.0 प्रतिशत निम्न (लाटरी के आधार पर)	मे0 नन्दनी कान्स्ट्रक्शन	स्वीकृत

मा0 कार्यकारिणी समिति के माध्यम से मा0 सदन के समक्ष स्वीकृतार्थ प्रेषित आगणन स्वीकृति में

प्र0सं0	कार्य का नाम	मद	आगणन घनांक	निविदा घनांक	दर	ठेकेदार/ फर्म का नाम	निर्णय
1085	जोन-4 वार्ड 65 के अन्तर्गत प्रेम नगर स्कूल की दुकानों के ऊपर बारातशाला के प्रथम तल का विस्तार कार्य।	राज्य वित्त आयोग (5 प्रति0)	29,99,028.00				स्वीकृति प्रदान करते हुये सदन को अग्रसारित किया गया

मा0 कार्यकारिणी समिति के माध्यम से मा0 सदन के समक्ष स्वीकृतार्थ प्रेषित निविदा स्वीकृति में

प्र0सं0	कार्य का नाम	मद	आगणन घनांक	निविदा घनांक	दर	ठेकेदार/ फर्म का नाम	निर्णय
1086	जोन-4 वार्ड 65 के अन्तर्गत प्रेम नगर स्कूल की दुकानों के ऊपर बारातशाला के प्रथम तल एवं द्वितीय तल का विस्तार कार्य।	राज्य वित्त आयोग	29,99,028.00	29,97,529.00	आगणन दर से 0.05 प्रतिशत निम्न	मे0 आनन्द शेखर बाजपेई	स्वीकृति प्रदान करते हुये सदन को अग्रसारित किया गया

मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष स्वीकृतार्थ प्रेषित आगणन स्वीकृति में

प्र0सं0	कार्य का नाम	मद	आगणन घनांक	निविदा घनांक	दर	ठेकेदार/ फर्म का नाम	निर्णय
1087	जोन-4 वार्ड 11 के अन्तर्गत नेहरू नगर स्थित गीता पार्क बारातशाला का आधुनिकीकरण का कार्य।	-	16,40,472.00				स्वीकृत

**प्रस्ताव संख्या-1088** नगर आयुक्त के पत्र संख्या-डी/40/सी0ई0 दिनांक 06.05.2015 मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ/स्वीकृतार्थ प्रेषित।

**प्रस्ताव**

ई-टेण्डरिंग हेतु नगर निगम में दिनांक 21.03.2015 को सेवा प्रदाता फर्म के चयन हेतु मेसर्स Antares System Limited के नाम पर नगर आयुक्त द्वारा स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। निविदा में मेसर्स Antares System Limited को प्रति ई-टेण्डर प्रति फर्म शुल्क रू0 300 व अतिरिक्त कर देय होगा। इस सम्बन्ध में उपरोक्त धनराशि एवं निविदा मूल्य को एक साथ ठेकेदारों से आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से नगर निगम के खाते में लाया जायेगा। वर्तमान में रू0 दस लाख की निविदा तक का निविदा मूल्य 500 रुपये है। इसमें सेवा प्रदाता फर्म का प्रोसेस शुल्क जोड़कर निविदा मूल्य की लागत तय की जानी है जिससे नगर निगम की आर्थिक हानि न हो। इस सम्बन्ध में वर्तमान निविदा मूल्य एवं प्रस्तावित निविदा मूल्य का विवरण निम्नवत् है:-

वर्तमान निविदा मूल्य		प्रस्तावित निविदा मूल्य	
कार्य की लागत	निविदा मूल्य	कार्य की लागत	निविदा मूल्य
1 से 2.25 लाख तक	100.00	1 लाख तक	100.00
2.25 से 5 लाख तक	200.00	1 से 5 लाख तक	500.00
5 से 10 लाख तक	300.00	5 से 20 लाख तक	1000.00
10 लाख से अधिक	500.00	20 से 30 लाख तक	1500.00
—	—	30 लाख से अधिक	2000.00

..... स्वीकृति प्रदान की गई।

**प्रस्ताव संख्या-1089** नगर आयुक्त के पत्र संख्या-डी/20/अ0अ0-6 दिनांक 06.04.2015 को नगर निगम अधिनियम की धारा 132(5)के अर्न्तगत सूचनार्थ प्रेषित।

**प्रस्ताव**

जोन-6 वार्ड -63 गीता नगर के अर्न्तगत श्री हरीनाम के मकान से साहूराम भारतीय के मकान तक नाली एवं सड़क का सुधार कार्य हेतु आगणन धनांक 29,95,724.00 का बनाया गया है। जिसे बजट हेड राज्य वित्त आयोग से कराया जाना प्रस्तावित है। जनहित में कार्य का कराया जाना आवश्यक है।

अवएव उक्त आगणन धनांक रू0 29,95,724.00 के व्यय की स्वीकृति हेतु मा0 कार्यकारिणी समिति के माध्यम से नगर निगम सदन से अपेक्षित है।

----- स्वीकृति प्रदान करते हुये सदन को अग्रसारित किया गया।

**प्रस्ताव संख्या-1090** नगर आयुक्त के पत्र संख्या-डी/682/अ0अ0-6 दिनांक 23.01.105 को नगर निगम अधिनियम की धारा 132(5)के अर्न्तगत सूचनार्थ/निर्णयार्थ प्रेषित।

**प्रस्ताव**

श्री रमाकान्त पाण्डेय पुत्र स्व0 मुन्नी लाल पाण्डेय (स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी), निवासी 114/656, रावतपुर बकरमण्डी, कानपुर नगर का प्रार्थना जो जिलाधिकारी महोदया, कानपुर नगर को सम्बोधित है एवं जिलाधिकारी जन प्रकोष्ठ के क्रमांक संख्या- 124 दिनांक 08.09.2014 पर पृष्ठांकित है जिसमें

ह0.....महापौर

आवेदक द्वारा अपने पिता स्व० मुन्नी लाल पाण्डेय (स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी) के नाम से एकता स्वीट हाउस चौराहे का नामकरण किये जाने के सम्बन्ध में है। उक्त चौराहे (एकता स्वीट हाउस चौराहा) के नामकरण की स्वीकृति मा० कार्यकारिणी समिति द्वारा प्रस्ताव स्वीकृत के उपरान्त ही नामकरण किया जा सकता है।

अतः प्रश्नगत नामकरण की स्वीकृति हेतु मा० कार्यकारिणी समिति के समक्ष स्वीकृतार्थ/निर्णयार्थ हेतु प्रेषित है।

..... निर्णय लिया गया कि नामकरण समिति में प्रस्तुत कर अग्रिम कार्यवाही की जाये।

**प्रस्ताव संख्या-1091** नगर आयुक्त महोदय के पत्र सं० डी / 24 / अ०अभि०(याता०)/2015-16 दि०- 14.05.2015 के अन्तर्गत नगर निगम की धारा 132(5) के अन्तर्गत मा० कार्यकारिणी के समक्ष सूचनार्थ प्रस्तुत।

**प्रस्ताव**

जोन 04 के अन्तर्गत वार्ड-51 नेहरु नगर तथा 80 फिट रोड से जुड़े वार्ड-43 अशोक नगर के विभिन्न चौराहो पर यातायात दिशा निर्देशन हेतु डेलिनेटर स्थापना का कार्य के आगणन धनांक रु 6,38,825.00 की स्वीकृति नगर आयुक्त महोदय द्वारा दिनांक 24.12.2014 को दी गई जिसके उपरान्त दिनांक 18.03.2015 को निविदाये मांगी गयी जिसमे मात्र 10 निविदाये प्राप्त हुई जिसमे सर्व निम्न निविदा दाता मे० गगन कान्स० कं० की निविदा आगणन से 15% निम्न पर प्राप्त हुई है जिसका धनांक रु 5,43,001.00 की स्वीकृति नगर आयुक्त महोदय द्वारा दिनांक 28.04.2015 को दी गई है। जो कि मान्नीय कार्यकारिणी समिति के समक्ष सूचनार्थ प्रस्तुत है।

..... पढ़ा गया।

**प्रस्ताव संख्या-1092** नगर आयुक्त महोदय के पत्र सं० डी / 25 / अ०अभि०(याता०)/2015-16 दि०- 14.05.2015 के अन्तर्गत नगर निगम की धारा 132(5) के अन्तर्गत मा० कार्यकारिणी के समक्ष सूचनार्थ प्रस्तुत।

**प्रस्ताव**

जोन 02 के अन्तर्गत जी०टी० रोड (पी०ए०सी० मोड) से श्याम नगर मुख्य मार्ग (एक्सप्रेस हाइवे सम्पर्क स्थल ) तक विभिन्न सम्पर्क मार्गों के तीखे मोड़ो,चौ०,डिवाइडर के किनारे एंव मार्ग पर बने आफसेट/विधुत पोलो/वृक्षो आदि से आवागमन से सुरक्षा प्रदान किये जाने हेतु यातायात दिशा निर्देशन हेतु डेलिनेटर स्थापना का कार्य के आगणन धनांक रु 6,94,375.00 की स्वीकृति नगर आयुक्त महोदय द्वारा दिनांक 24.12.2014 को दी गई जिसके उपरान्त दिनांक 18.03.2015 को निविदाये मांगी गयी जिसमे मात्र 12 निविदाये प्राप्त हुई जिसमे सर्व निम्न निविदा दाता मे० पाण्डेय कान्स० कं० की निविदा आगणन से 15% निम्न पर प्राप्त हुई है जिसका धनांक रु 5,90,219.00 की स्वीकृति नगर आयुक्त महोदय द्वारा दिनांक 28.04.2015 को दी गई है। जो कि मान्नीय कार्यकारिणी समिति के समक्ष सूचनार्थ प्रस्तुत है।

..... पढ़ा गया।

**प्रस्ताव संख्या-1093** नगर आयुक्त महोदय के पत्र सं० डी / 26 / अ०अभि०(याता०)/2015-16 दि०- 14.05.2015 के अन्तर्गत नगर निगम की धारा 132(5) के अन्तर्गत मा० कार्यकारिणी के समक्ष सूचनार्थ प्रस्तुत।

**प्रस्ताव**

जोन 02 के अन्तर्गत हमीरपुर सब्जीमण्डी से निजाम चौ० (वाई ब्लॉक ) मे नव प्रलेपित मार्ग पर थर्मोप्लास्ट पेटिंग एवं यातायात सम्बन्धी कार्य के आगणन धनांक रु 6,01,985.00 की स्वीकृति नगर आयुक्त महोदय द्वारा दिनांक 24.12.2014 को दी गई जिसके उपरान्त दिनांक 18.03.2015 को निविदाये मांगी गयी

ह०.....महापौर

जिसमें मात्र 13 निविदाये प्राप्त हुई जिसमें सर्व निम्न निविदा दाता मे० विशाल कान्स० कं० की निविदा आगणन से 15% निम्न पर प्राप्त हुई है जिसका धनांक रु 5,11,687.00 की स्वीकृति नगर आयुक्त महोदय द्वारा दिनांक 28.04.2015 को दी गई है। जो कि माननीय कार्यकारिणी समिति के समक्ष सूचनार्थ प्रस्तुत है।

..... पढ़ा गया।

**प्रस्ताव संख्या-1094** नगर आयुक्त के पत्र संख्या: डी/136/उद्यान/2014-15 दिनांक 20.01.2015 के द्वारा नगर निगम की अधिनियम की धारा 132(5) के अन्तर्गत सूचनार्थ प्रस्तुत है।

:- प्रस्ताव :-

जोन-1 नानाराव पार्क स्थित तरणताल में ताल की फर्श मरम्मत कार्य हेतु आगणन धनांक 8,01,284.00 की स्वीकृति नगर आयुक्त द्वारा दिनांक 19.11.2014 को प्रदान की गयी, तदोपरान्त कार्य की निविदा दिनांक 27.12.2014 को मांगी गयी, जिसमें प्राप्त तीन वैध निविदाओं में न्यूनतम निविदा मैसर्स कुमार एण्ड कम्पनी की आगणन से 5.00 प्रतिशत निम्न पर धनांक रु. 7,61,220.00 की प्राप्त हुई। जनहित व कार्य की आवश्यकता की दृष्टि से नगर आयुक्त द्वारा न्यूनतम निविदादाता की निविदा आगणन से 5.00 प्रतिशत निम्न धनांक रु. 7,61,220.00 की दिनांक 20.01.2015 को स्वीकृति प्रदान की गयी, जो मा. कार्यकारिणी समिति के समक्ष सूचनार्थ प्रेषित है।

..... पढ़ा गया।

**प्रस्ताव संख्या-1095** नगर आयुक्त के पत्र संख्या: डी/147/उद्यान/2014-15 दिनांक 29.01.2015 के द्वारा नगर निगम की अधिनियम की धारा 132(5) के अन्तर्गत सूचनार्थ प्रस्तुत है।

:- प्रस्ताव :-

जोन-5 वार्ड 64 में पनकी सेक्टर-बी में राधा पार्क की मरम्मत व सौन्दर्यीकरण हेतु आगणन धनांक 3,38,489.00 की स्वीकृति नगर आयुक्त द्वारा दिनांक 21.11.2014 को प्रदान की गयी, तदोपरान्त कार्य की निविदा दिनांक 27.12.2014 को मांगी गयी, जिसमें प्राप्त तीन वैध निविदाओं में न्यूनतम निविदा मैसर्स विनय पौधशाला की आगणन से 0.12 प्रतिशत निम्न पर धनांक रु. 9,37,362.00 की प्राप्त हुई। जनहित व कार्य की आवश्यकता की दृष्टि से नगर आयुक्त द्वारा न्यूनतम निविदादाता की निविदा आगणन से 0.12 प्रतिशत निम्न धनांक रु. 9,37,362.00 की दिनांक 27.01.2015 को स्वीकृति प्रदान की गयी, जो मा. कार्यकारिणी समिति के समक्ष सूचनार्थ प्रेषित है।

..... पढ़ा गया।

**प्रस्ताव संख्या-1096** नगर आयुक्त के पत्र संख्या: डी/149/उद्यान/2014-15 दिनांक 07.02.2015 के द्वारा नगर निगम की अधिनियम की धारा 132(5) के अन्तर्गत सूचनार्थ प्रस्तुत है।

:- प्रस्ताव :-

जोन-5 वार्ड 64 में पनकी सेक्टर-सी में महावीर पार्क की मरम्मत व सौन्दर्यीकरण हेतु आगणन धनांक 6,30,820.00 की स्वीकृति नगर आयुक्त द्वारा दिनांक 21.11.2014 को प्रदान की गयी, तदोपरान्त कार्य की निविदा दिनांक 27.12.2014 को मांगी गयी, जिसमें प्राप्त तीन वैध निविदाओं में न्यूनतम निविदा मैसर्स विनय



पौधशाला की आगणन से 0.19 प्रतिशत निम्न पर धनांक रू. 6,29,622.00 की प्राप्त हुई। जनहित व कार्य की आवश्यकता की दृष्टि से नगर आयुक्त द्वारा न्यूनतम निविदादाता की निविदा आगणन से 0.19 प्रतिशत निम्न धनांक रू. 6,29,622.00 की दिनांक 27.01.2015 को स्वीकृति प्रदान की गयी, जो मा. कार्यकारिणी समिति के समक्ष सूचनार्थ प्रेषित है।

..... पढ़ा गया।

**प्रस्ताव संख्या-1097** नगर आयुक्त के पत्र संख्या: डी/167/उद्यान/2014-15 दिनांक 07.02.2015 के द्वारा नगर निगम की अधिनियम की धारा 132(5) के अन्तर्गत सूचनार्थ प्रस्तुत है।

:- प्रस्ताव :-

जोन-5 वार्ड 33 रतनपुर के अन्तर्गत मकान नं0-432/1550 के सामने स्थित पार्क का निर्माण कार्य हेतु आगणन धनांक 7,97,744.00 की स्वीकृति नगर आयुक्त द्वारा दिनांक 15.11.2014 को प्रदान की गयी, तदोपरान्त कार्य की निविदा दिनांक 27.12.2014 को मांगी गयी, जिसमें प्राप्त तीन वैध निविदाओं में न्यूनतम निविदा मैसर्स यश कान्सट्रक्शन कम्पनी की आगणन से 8.88 प्रतिशत उच्च व जस्टीफिकेशन से 1.14 प्रतिशत निम्न पर धनांक रू. 8,68,583.00 की प्राप्त हुई। जनहित व कार्य की आवश्यकता की दृष्टि से नगर आयुक्त द्वारा न्यूनतम निविदादाता की निविदा जस्टीफिकेशन से 1.14 प्रतिशत निम्न पर धनांक रू. 8,68,583.00 की दिनांक 02.02.2015 को स्वीकृति प्रदान की गयी, जो मा. कार्यकारिणी समिति के समक्ष सूचनार्थ प्रेषित है।

..... पढ़ा गया।

**प्रस्ताव संख्या-1098** नगर आयुक्त के पत्र संख्या: डी/181/उद्यान/2014-15 दिनांक 21.02.2015 के द्वारा नगर निगम की अधिनियम की धारा 132(5) के अन्तर्गत सूचनार्थ प्रस्तुत है।

:- प्रस्ताव :-

जोन-4 वार्ड 06 के अन्तर्गत पूर्व व्यायामशाला विजेन्द्र स्वरूप पार्क में सौन्दर्यीकरण का कार्य हेतु आगणन धनांक 5,30,997.00 की स्वीकृति नगर आयुक्त द्वारा दिनांक 19.11.2014 को प्रदान की गयी, तदोपरान्त कार्य की निविदा दिनांक 27.12.2014 को मांगी गयी, जिसमें प्राप्त तीन वैध निविदाओं में न्यूनतम निविदा मैसर्स सिद्धेश बिल्डर्स की आगणन से 0.01 प्रतिशत निम्न पर धनांक रू. 5,30,944.00 की प्राप्त हुई। जनहित व कार्य की आवश्यकता की दृष्टि से नगर आयुक्त द्वारा न्यूनतम निविदादाता की निविदा 0.01 प्रतिशत निम्न पर धनांक रू. 5,30,944.00 की दिनांक 18.02.2015 को स्वीकृति प्रदान की गयी, जो मा. कार्यकारिणी समिति के समक्ष सूचनार्थ प्रेषित है।

..... पढ़ा गया।

**प्रस्ताव संख्या-1099** नगर आयुक्त के पत्र संख्या: डी/201/उद्यान/2014-15 दिनांक 23.03.2015 के द्वारा नगर निगम की अधिनियम की धारा 132(5) के अन्तर्गत सूचनार्थ प्रस्तुत है।

:- प्रस्ताव :-

जोन-6 वार्ड 14 अम्बेडकर नगर के अन्तर्गत आर.एस.पुरम् में स्थित पार्क का सुधार कार्य हेतु आगणन धनांक 6,43,863.00 की स्वीकृति नगर आयुक्त द्वारा दिनांक 21.11.2014 को प्रदान की गयी, तदोपरान्त कार्य की निविदा दिनांक 27.12.2014 को मांगी गयी, जिसमें प्राप्त तीन वैध निविदाओं में न्यूनतम निविदा मैसर्स ओम शिव कान्सट्रक्शन कम्पनी की आगणन से 0.1 प्रतिशत निम्न पर धनांक रू. 6,43,219.13 की प्राप्त हुई। जनहित व कार्य की आवश्यकता की दृष्टि से नगर

आयुक्त द्वारा न्यूनतम निविदादाता की निविदा 0.1 प्रतिशत निम्न पर धनांक रू. 6,43,219.13 की दिनांक 16.03.2015 को स्वीकृति प्रदान की गयी, जो मा. कार्यकारिणी समिति के समक्ष सूचनार्थ प्रेषित है।

..... पढ़ा गया।

**प्रस्ताव संख्या-1100** नगर आयुक्त के पत्र संख्या: डी/18/उद्यान अधी./2014-15 दिनांक 13.04.2015 के द्वारा नगर निगम की अधिनियम की धारा 132(5) के अन्तर्गत सूचनार्थ प्रस्तुत है।

:- प्रस्ताव :-

जोन-4 वार्ड 42 के अन्तर्गत गोवा गार्डन स्थित पार्क का निर्माण कार्य हेतु आगणन धनांक 7,52,395.00 की स्वीकृति नगर आयुक्त द्वारा दिनांक 08.01.2015 को प्रदान की गयी, तदोपरान्त कार्य की निविदा दिनांक 25.02.2015 को मांगी गयी, जिसमें प्राप्त तीन वैध निविदाओं में न्यूनतम निविदा मैसर्स विनय पौधशाला की आगणन से 2.10 प्रतिशत निम्न पर धनांक रू. 7,36,595.00 की प्राप्त हुई। जनहित व कार्य की आवश्यकता की दृष्टि से नगर आयुक्त द्वारा न्यूनतम निविदादाता की निविदा आगणन से 2.10 प्रतिशत निम्न धनांक रू. 7,36,595.00 की दिनांक 31.03.2015 को स्वीकृति प्रदान की गयी, जो मा. कार्यकारिणी समिति के समक्ष सूचनार्थ प्रेषित है।

..... पढ़ा गया।

**प्रस्ताव संख्या-1101** नगर आयुक्त के पत्र संख्या: डी/23/उद्यान अधी./2014-15 दिनांक 13.04.2015 के द्वारा नगर निगम की अधिनियम की धारा 132(5) के अन्तर्गत स्वीकृतार्थ प्रस्तुत है।

:- प्रस्ताव :-

जोन-5 वार्ड 62 बर्रा गांव में स्थित गुलाब गार्डन पार्क की बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कार्य हेतु आगणन धनांक 19,97,504.00 की स्वीकृति नगर आयुक्त महोदय/मा. महापौर जी द्वारा दिनांक 04.09.2014 को प्रदान की गयी, तदोपरान्त कार्य की निविदा दिनांक 25.02.2015 को मांगी गयी, जिसमें प्राप्त चार वैध निविदाओं में न्यूनतम निविदा मैसर्स ज्योति सेल्स की आगणन से 4.40 प्रतिशत निम्न पर धनांक रू. 19,09,614.00 की प्राप्त हुई। जनहित व कार्य की आवश्यकता की दृष्टि से नगर आयुक्त द्वारा न्यूनतम निविदादाता की निविदा आगणन से 4.40 प्रतिशत निम्न धनांक रू. 19,09,614.00 की दिनांक 10.04.2015 को स्वीकृति प्रदान की गयी, जो मा. कार्यकारिणी समिति के समक्ष स्वीकृतार्थ प्रेषित है।

..... स्वीकृति प्रदान की गई।

**प्रस्ताव संख्या-1102** नगर आयुक्त के पत्र संख्या: डी/14/उद्यान अधी./2014-15 दिनांक 13.04.2015 के द्वारा नगर निगम की अधिनियम की धारा 132(5) के अन्तर्गत सूचनार्थ प्रस्तुत है।

:- प्रस्ताव :-

जोन-5 वार्ड 69 गुजैनी के अन्तर्गत आई ब्लाक में स्थित पार्क का सुधार कार्य हेतु आगणन धनांक 9,85,400.00 की स्वीकृति नगर आयुक्त महोदय/मा. महापौर जी द्वारा दिनांक 08.01.2015 को प्रदान की गयी, तदोपरान्त कार्य की निविदा दिनांक 25.02.2015 को मांगी गयी, जिसमें प्राप्त तीन वैध निविदाओं में न्यूनतम निविदा मैसर्स कुमार एण्ड कम्पनी की आगणन से 0.40 प्रतिशत निम्न पर धनांक रू. 9,81,459.00 की प्राप्त हुई। जनहित व कार्य की आवश्यकता की दृष्टि से नगर आयुक्त द्वारा न्यूनतम निविदादाता की निविदा आगणन से 0.40 प्रतिशत निम्न धनांक रू. 9,81,459.00 की दिनांक 31.03.2015 को स्वीकृति प्रदान की गयी, जो मा. कार्यकारिणी समिति के समक्ष सूचनार्थ प्रेषित है।

..... पढ़ा गया।

**प्रस्ताव संख्या-1103** नगर आयुक्त के पत्र संख्या: डी/09/उद्यान अधी./2014-15 दिनांक 13.04.2015 के द्वारा नगर निगम की अधिनियम की धारा 132(5) के अन्तर्गत सूचनार्थ प्रस्तुत है।

:- प्रस्ताव :-

जोन-5 वार्ड 64 पनकी स्थित बरगद वाला पार्क का सुधार कार्य हेतु आगणन धनांक 8,02,252.00 की स्वीकृति नगर आयुक्त महोदय/मा. महापौर जी द्वारा दिनांक 08.01.2015 को प्रदान की गयी, तदोपरान्त कार्य की निविदा दिनांक 25.02.2015 को मांगी गयी, जिसमें प्राप्त तीन वैध निविदाओं में न्यूनतम निविदा मैसर्स विनय पौधशाला की आगणन से 0.19 प्रतिशत निम्न पर धनांक रू. 8,00,728.00 की प्राप्त हुई। जनहित व कार्य की आवश्यकता की दृष्टि से नगर आयुक्त द्वारा न्यूनतम निविदादाता की निविदा आगणन से 0.19 प्रतिशत निम्न धनांक रू. 8,00,728.00 की दिनांक 31.03.2015 को स्वीकृति प्रदान की गयी, जो मा. कार्यकारिणी समिति के समक्ष सूचनार्थ प्रेषित है।

..... पढ़ा गया।

**प्रस्ताव संख्या-1104** नगर आयुक्त के पत्र संख्या: डी/27/उद्यान अधी./2014-15 दिनांक 13.04.2015 के द्वारा नगर निगम की अधिनियम की धारा 132(5) के अन्तर्गत सूचनार्थ प्रस्तुत है।

:- प्रस्ताव :-

जोन-5 वार्ड 93 गोविन्द नगर स्थित बी.एस.ए. पार्क का सुधार कार्य हेतु आगणन धनांक 9,21,160.00 की स्वीकृति नगर आयुक्त महोदय/मा. महापौर जी द्वारा दिनांक 08.01.2015 को प्रदान की गयी, तदोपरान्त कार्य की निविदा दिनांक 25.02.2015 को मांगी गयी, जिसमें प्राप्त तीन वैध निविदाओं में न्यूनतम निविदा मैसर्स कुमार एण्ड कम्पनी की आगणन से 0.50 प्रतिशत निम्न पर धनांक रू. 9,16,555.00 की प्राप्त हुई। जनहित व कार्य की आवश्यकता की दृष्टि से नगर आयुक्त द्वारा न्यूनतम निविदादाता की निविदा आगणन से 0.50 प्रतिशत निम्न धनांक रू. 9,16,555.00 की दिनांक 31.03.2015 को स्वीकृति प्रदान की गयी, जो मा. कार्यकारिणी समिति के समक्ष सूचनार्थ प्रेषित है।

..... पढ़ा गया।

**प्रस्ताव संख्या-1105** नगर आयुक्त के पत्र संख्या: डी/20/उद्यान अधी./2014-15 दिनांक 13.04.2015 के द्वारा नगर निगम की अधिनियम की धारा 132(5) के अन्तर्गत सूचनार्थ प्रस्तुत है।

:- प्रस्ताव :-

जोन-6 के अन्तर्गत नवशील धाम में मकान नं0-13 के पीछे स्थित पार्क का सुधार एवं पाथवें निर्माण का कार्य हेतु आगणन धनांक 8,02,662.00 की स्वीकृति नगर आयुक्त महोदय/मा. महापौर जी द्वारा दिनांक 08.01.2015 को प्रदान की गयी, तदोपरान्त कार्य की निविदा दिनांक 25.02.2015 को मांगी गयी, जिसमें प्राप्त तीन वैध निविदाओं में न्यूनतम निविदा मैसर्स विनय पौधशाला की आगणन से 0.15 प्रतिशत निम्न पर धनांक रू. 8,01,458.00 की प्राप्त हुई। जनहित व कार्य की आवश्यकता की दृष्टि से नगर आयुक्त द्वारा न्यूनतम निविदादाता की निविदा आगणन से 0.15 प्रतिशत निम्न धनांक रू. 8,01,458.00 की दिनांक 31.03.2015 को स्वीकृति प्रदान की गयी, जो मा. कार्यकारिणी समिति के समक्ष सूचनार्थ प्रेषित है।

..... पढ़ा गया।

**प्रस्ताव संख्या-1106** नगर आयुक्त के पत्र संख्या: डी/15/उद्यान अधी./2014-15 दिनांक 13.04.2015 के द्वारा नगर निगम की अधिनियम की धारा 132(5) के अन्तर्गत सूचनार्थ प्रस्तुत है।

:- प्रस्ताव -:

जोन-6 वार्ड 20 इन्दिरा नगर के अन्तर्गत भारत माता उद्यान का सुधार एवं पाथवें निर्माण का कार्य हेतु आगणन धनांक 10,09,290.00 की स्वीकृति नगर आयुक्त महोदय/मा. महापौर जी द्वारा दिनांक 08.01.2015 को प्रदान की गयी, तदोपरान्त कार्य की निविदा दिनांक 25.02.2015 को मांगी गयी, जिसमें प्राप्त तीन वैध निविदाओं में न्यूनतम निविदा मैसर्स विनय पौधशाला की आगणन से 0.19 प्रतिशत निम्न पर धनांक रू. 10,07,372.00 की प्राप्त हुई। जनहित व कार्य की आवश्यकता की दृष्टि से नगर आयुक्त द्वारा न्यूनतम निविदादाता की निविदा आगणन से 0.19 प्रतिशत निम्न धनांक रू. 10,07,372.00 की दिनांक 31.03.2015 को स्वीकृति प्रदान की गयी, जो मा. कार्यकारिणी समिति के समक्ष सूचनार्थ प्रेषित है।  
..... पढ़ा गया।

**प्रस्ताव संख्या-1107** नगर आयुक्त के पत्र संख्या: डी/11/उद्यान अधी./2014-15 दिनांक 13.04.2015 के द्वारा नगर निगम की अधिनियम की धारा 132(5) के अन्तर्गत सूचनार्थ प्रस्तुत है।

:- प्रस्ताव -:

जोन-5 वार्ड 69 'जे ब्लाक' गुजैनी स्थित पार्क की बाउण्ड्रीवाल एवं सुधार कार्य हेतु आगणन धनांक 14,58,270.00 की स्वीकृति नगर आयुक्त महोदय/मा. महापौर जी द्वारा दिनांक 08.01.2015 को प्रदान की गयी, तदोपरान्त कार्य की निविदा दिनांक 25.02.2015 को मांगी गयी, जिसमें प्राप्त तीन वैध निविदाओं में न्यूनतम निविदा मैसर्स विनय पौधशाला की आगणन से 0.50 प्रतिशत निम्न पर धनांक रू. 14,50,979.00 की प्राप्त हुई। जनहित व कार्य की आवश्यकता की दृष्टि से नगर आयुक्त द्वारा न्यूनतम निविदादाता की निविदा आगणन से 0.50 प्रतिशत निम्न धनांक रू. 14,50,979.00 की दिनांक 10.04.2015 को स्वीकृति प्रदान की गयी, जो मा. कार्यकारिणी समिति के समक्ष सूचनार्थ प्रेषित है।  
..... पढ़ा गया।

**प्रस्ताव संख्या-1108** नगर आयुक्त के पत्र संख्या: डी/07/उद्यान अधी./2014-15 दिनांक 13.04.2015 के द्वारा नगर निगम की अधिनियम की धारा 132(5) के अन्तर्गत स्वीकृतार्थ प्रस्तुत है।

:- प्रस्ताव -:

जोन-5 वार्ड 98 गोविन्द नगर में म0नं0 126/जे/57 'ए' के सामने स्थित पार्क का सुधार कार्य हेतु आगणन धनांक 16,68,687.00 की स्वीकृति नगर आयुक्त महोदय/मा. महापौर जी द्वारा दिनांक 08.01.2015 को प्रदान की गयी, तदोपरान्त कार्य की निविदा दिनांक 25.02.2015 को मांगी गयी, जिसमें प्राप्त तीन वैध निविदाओं में न्यूनतम निविदा मैसर्स कुमार एण्ड कम्पनी की आगणन से 0.50 प्रतिशत निम्न पर धनांक रू. 16,60,343.00 की प्राप्त हुई। जनहित व कार्य की आवश्यकता की दृष्टि से नगर आयुक्त द्वारा न्यूनतम निविदादाता की निविदा आगणन से 0.50 प्रतिशत निम्न धनांक रू. 16,60,343.00 की दिनांक 10.04.2015 को स्वीकृति प्रदान की गयी, जो मा. कार्यकारिणी समिति के समक्ष स्वीकृतार्थ प्रेषित है।  
..... स्वीकृति प्रदान की गई।

**प्रस्ताव संख्या-1109** नगर आयुक्त के पत्र संख्या: डी/24/उद्यान अधी./2014-15 दिनांक 13.04.2015 के द्वारा नगर निगम की अधिनियम की धारा 132(5) के अन्तर्गत सूचनार्थ प्रस्तुत है।

:- प्रस्ताव :-

जोन-6 वार्ड 16 लातपत नगर के अन्तर्गत रामलीला पार्क में लैण्ड स्केपिंग का कार्य हेतु आगणन धनांक 9,32,038.00 की स्वीकृति नगर आयुक्त महोदय/मा. महापौर जी द्वारा दिनांक 08.01.2015 को प्रदान की गयी, तदोपरान्त कार्य की निविदा दिनांक 25.02.2015 को मांगी गयी, जिसमें प्राप्त तीन वैध निविदाओं में न्यूनतम निविदा मैसर्स कुमार एण्ड कम्पनी की आगणन से 0.40 प्रतिशत निम्न पर धनांक रू. 9,28,309.00 की प्राप्त हुई। जनहित व कार्य की आवश्यकता की दृष्टि से नगर आयुक्त द्वारा न्यूनतम निविदादाता की निविदा आगणन से 0.40 प्रतिशत निम्न धनांक रू. 9,28,309.00 की दिनांक 10.04.2015 को स्वीकृति प्रदान की गयी, जो मा. कार्यकारिणी समिति के समक्ष सूचनार्थ प्रेषित है।

..... पढ़ा गया।

**प्रस्ताव संख्या-1110** नगर आयुक्त के पत्र संख्या: डी/06/उद्यान अधी./2014-15 दिनांक 13.04.2015 के द्वारा नगर निगम की अधिनियम की धारा 132(5) के अन्तर्गत सूचनार्थ प्रस्तुत है।

:- प्रस्ताव :-

जोन-5 वार्ड 52 रतनलाल नगर के अन्तर्गत उधम सिंह पार्क में पाथवे निर्माण का कार्य हेतु आगणन धनांक 6,01,850.00 की स्वीकृति नगर आयुक्त महोदय/मा. महापौर जी द्वारा दिनांक 08.01.2015 को प्रदान की गयी, तदोपरान्त कार्य की निविदा दिनांक 25.02.2015 को मांगी गयी, जिसमें प्राप्त आठ वैध निविदाओं में न्यूनतम निविदा मैसर्स रामकिशोर की आगणन से 15.00 प्रतिशत निम्न पर धनांक रू. 5,11,573.00 की प्राप्त हुई। जनहित व कार्य की आवश्यकता की दृष्टि से नगर आयुक्त द्वारा न्यूनतम निविदादाता की निविदा आगणन से 15.00 प्रतिशत निम्न धनांक रू. 5,11,573.00 की दिनांक 10.04.2015 को स्वीकृति प्रदान की गयी, जो मा. कार्यकारिणी समिति के समक्ष सूचनार्थ प्रेषित है।

..... पढ़ा गया।

**प्रस्ताव संख्या-1111** नगर आयुक्त के पत्र संख्या: डी/33/उद्यान अधी./2014-15 दिनांक 21.04.2015 के द्वारा नगर निगम की अधिनियम की धारा 132(5) के अन्तर्गत सूचनार्थ प्रस्तुत है।

:- प्रस्ताव :-

जोन-4 वार्ड 43 मोतीझील स्थित राजीव वाटिका का सुधार कार्य हेतु आगणन धनांक 11,33,195.00 की स्वीकृति नगर आयुक्त द्वारा दिनांक 21.11.2014 को प्रदान की गयी, तदोपरान्त कार्य की निविदा दिनांक 25.02.2015 को मांगी गयी, जिसमें प्राप्त छः वैध निविदाओं में न्यूनतम निविदा मैसर्स सिंह कान्सट्रक्शन की आगणन से 15.00 प्रतिशत निम्न पर धनांक रू. 9,63,216.00 की प्राप्त हुई। जनहित व कार्य की आवश्यकता की दृष्टि से नगर आयुक्त द्वारा न्यूनतम निविदादाता की निविदा आगणन से 15.00 प्रतिशत निम्न धनांक रू. 9,63,216.00 की दिनांक 21.04.2015 को स्वीकृति प्रदान की गयी, जो मा. कार्यकारिणी समिति के समक्ष सूचनार्थ प्रेषित है।

..... पढ़ा गया।

**प्रस्ताव संख्या-1112** नगर आयुक्त के पत्र संख्या: डी/61 /उद्यान अधी0/2015-16 दिनांक 2.05.2015 के द्वारा नगर निगम की अधिनियम की धारा 132(5) के अन्तर्गत सूचनार्थ प्रस्तुत है।

:- प्रस्ताव :-

जोन-6 वार्ड 57 एम ब्लॉक काकादेव में स्थित तिकोना पार्क में पाथवें निर्माण एवं आर0सी0सी0 बेन्च लगाने हेतु आगणन धनांक 9,12,284.00 की स्वीकृति नगर आयुक्त द्वारा दिनांक 16.03.2015 को प्रदान की गयी, तदोपरान्त कार्य की निविदा दिनांक 22.04.2015 को मांगी गयी, जिसमें प्राप्त आठ वैध निविदाओं में न्यूनतम निविदा मैसर्स गगन कान्सट्रक्शन कम्पनी की आगणन से 15.00 प्रतिशत निम्न पर धनांक रू. 7,75,442.00 की प्राप्त हुई। जनहित व कार्य की आवश्यकता की दृष्टि से नगर आयुक्त द्वारा न्यूनतम निविदादाता की निविदा 15.00 प्रतिशत निम्न पर धनांक रू. 7,75,442.00 की दिनांक 16.05.2015 को स्वीकृति प्रदान की गयी, जो मा. कार्यकारिणी समिति के समक्ष सूचनार्थ प्रेषित है।

..... पढ़ा गया।

**प्रस्ताव संख्या-1113** नगर आयुक्त महोदय के पत्र सं0 डी / 73 / सी0सी0/एफ/2015-16 दि0- 13.05.2015 के अन्तर्गत नगर निगम की धारा 132(3) के अन्तर्गत मा0 कार्यकारिणी के समक्ष सूचनार्थ/स्वीकृतार्थ प्रस्तुत।

**प्रस्ताव**

नगर निगम सीमान्तर्गत आने वाले वार्डों में मच्छर जनित बीमारियों की रोकथाम हेतु नगर निगम निधि से 02 नग जीप माउण्टेड फागिंग मशीनों को कय करने हेतु आमन्त्रित निविदा दिनांक 31.03.15 को प्राप्त निविदाओं में न्यूनतम दरदाता फर्म मेसर्स रायल ट्रेड लिंक्स प्रा0 लि0 , नई दिल्ली से (निविदा शर्तों के आधार पर ) प्रति मशीन रूपया 11,02,500.00 की दर से 02 नग मशीनों के कय करने हेतु कुल रूपया 22,05,000.00 (रूपया बाइस लाख पाँच हजार मात्र) के व्यय की स्वीकृति/अनुमोदन मा0 कार्यकारिणी/सदन की स्वीकृति की प्रत्याशा में नगर आयुक्त/मा0 महापौर जी द्वारा दिनांक 24.04.2015 प्रदान की गई है।

मा0 कार्यकारिणी/सदन की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रेषित है।

..... स्वीकृति प्रदान करते हुये सदन को अग्रसारित किया गया।

**प्रस्ताव संख्या-1114** नगर आयुक्त महोदय के पत्र सं0 डी / 107 / सी0सी0/एफ/2015-16 दि0- 28.05.2015 के अन्तर्गत नगर निगम की धारा 132(3) के अन्तर्गत मा0 कार्यकारिणी के समक्ष सूचनार्थ/स्वीकृतार्थ प्रस्तुत।

**प्रस्ताव**

नगर में मच्छर जनित बीमारियों की रोकथाम हेतु प्रत्येक जोन में दो-दो नग जीप माउण्टेड फागिंग मशीनों को उपलब्ध कराने हेतु नगर निगम निधि से वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 में आमन्त्रित निविदा दिनांक 07.04.2015 को न्यूनतम दरदाता फर्म मेसर्स रायल ट्रेड लिंक्स प्रा0 लि0 गोविन्दपुरी , नई दिल्ली के पक्ष में 02 नग जीप माउण्टेड फागिंग मशीन की आपूर्ति हेतु निर्गत कार्यादेश संख्या- डी/23/प्र0अ0(वर्क0)/एफ/2015-16 दिनांक 25.04.2015 के अनुसार वर्तमान में पुनः दो नग जीप माउण्टेड फागिंग मशीनों को कय करने हेतु पूर्व स्वीकृत दर पर प्रति मशीन रूपया 11,02,500.00 कुल रूपया 22,05,000.00 (रूपया बाइस लाख पाँच हजार मात्र) के व्यय भुगतान की स्वीकृति/अनुमोदन मा0 कार्यकारिणी/सदन की स्वीकृति की प्रत्याशा में नगर आयुक्त/मा0 महापौर जी द्वारा क्रमशः दिनांक 25.05.2015 दिनांक 27.05.15 को मेसर्स रायल ट्रेड लिंक्स प्रा0लि0 , गोविन्दपुरी, नई दिल्ली के पक्ष में प्रदान क प्रदान की गई है।

मा0 कार्यकारिणी/सदन की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रेषित है।

..... स्वीकृति प्रदान करते हुये सदन को अग्रसारित किया गया।

**प्रस्ताव संख्या-1115** नगर आयुक्त महोदय के पत्र सं० डी / 74 / सी०सी०/एफ/2015-16 दि०- 04.06.15 के अन्तर्गत नगर निगम की धारा 132(3) के अन्तर्गत मा० कार्यकारिणी के समक्ष सूचनार्थ/स्वीकृतार्थ प्रस्तुत।

#### प्रस्ताव

शहर की सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने हेतु नगर स्वास्थ्य अधिकारी की माँग को दृष्टिगत रखते हुये नगर निगम निधि से 14 नग डम्पर प्लेसर कन्टेनर क्षमता 8.0 क्यूमी० के क्रय हेतु आमंत्रित निविदा दिनांक 07.04.2015 में न्यूनतम दरदाता फर्म मेसर्स जेनसिस वेस्ट हैण्डलिंग प्रा०लि०, जे०पी० नगर, उत्तर प्रदेश के पक्ष में प्रति कन्टेनर रूपया 98,500.00 की दर से 14 नगर कन्टेनर हेतु कुल रूपया 13,79,000.00 (रूपया तेरह लाख उन्यासी हजार मात्र) की स्वीकृति/अनुमोदन कमशः नगर आयुक्त/मा० महापौर जी द्वारा कमशः दिनांक 21.04.105 एवं दिनांक 23.04.15 को प्रदान की गई है।

उपरोक्तानुसार प्रदान की गई स्वीकृति/अनुमोदन के अनुक्रम में मा० कार्यकारिणी समिति के सूचनार्थ प्रस्ताव प्रेषित है।

..... पढ़ा गया।

**प्रस्ताव संख्या-1116** नगर आयुक्त के पत्र संख्या-डी/025/कीड़ा/15-16 दिनांक 24.04.15 माननीय कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ/स्वीकृतार्थ प्रेषित।

#### प्रस्ताव

नगर निगम के कीड़ा विभाग की आय बढ़ाने एवं शहर में उच्च स्तरीय रोलर स्केटिंग प्रशिक्षण व्यवस्था को मोतीझील स्थित करगिलपार्क में बने स्केटिंग रिंग पर स्केटिंग के राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी से प्रशिक्षण दिलाकर राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर जिले के खिलाड़ियों को तैयार करने के उद्देश्य से निम्नलिखित नियम/शर्तों के अधीन एक वर्ष के लिये श्री कुलदीप कुमार पुत्र श्री विजय कुमार 86/57 रायपुरवा निकट डिप्टी पड़ाव,झण्डेवाली गली कानपुर से अनुबन्ध किये जाने हेतु कार्यकारिणी के समक्ष स्वीकृति प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव प्रेषित है:-

1. प्राधिकारी(प्रथम पक्ष नगर निगम कानपुर)द्वारा मोतीझील स्थित कार्गिल पार्क के स्केटिंग रिंग नगर निगम कानपुर में रोलर स्केटिंग एकाडमी को सुचारु रूप से चलाने (संचालन)एवं प्रबन्धन तथा रोलर स्केटिंग की कोचिंग के लिये द्वितीय पक्ष की सेवाये प्राप्त करेंगे।
2. कार्यकारिणी से प्रस्ताव पास होने के उपरान्त व अनुबन्ध की तिथि से एक वर्ष के लिये अनुबन्ध किया जायेगा परन्तु किसी भी पक्ष द्वारा लिखित रूप से एक महीने की पूर्व सूचना देकर बिना कारण बताये इसे समाप्त किया जा सकता है।
3. द्वितीय पक्ष (श्री कुलदीप कुमार)कार्गिलपार्क मोतीझील स्थित स्केटिंग रिंग पर रोलर स्केटिंग एकाडमी के नाम से शर्तों के अधीन रोलर स्केटिंग एकाडमी चलायेंगे।रोलर स्केटिंग एकाडमी में बच्चों को केवल रोलर स्केटिंग का प्रशिक्षण राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों व प्रशिक्षकों से प्रशिक्षण दिलाया जायेगा जिसकी जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी।
4. द्वितीय पक्ष द्वारा कार्गिलपार्क मोतीझील स्केटिंग रिंग पर एकाडमी चलाने पर प्रथम पक्ष के कीड़ा विभाग में प्रतिमाह रूपया 1000/- (रूपया एक हजार)मात्र किराये के रूप में जमा करना होगा।यह धनराशि एक वर्ष हेतु एक मुश्त रूपया 12000/- (रूपया बारह हजार)मात्र जमा करने होंगे और द्वितीय पक्ष द्वारा अगले वर्ष के लिये और मांगने पर पूर्व वर्ष के कार्य को संतोषजनक पाये जाने पर दूसरे वर्ष कार्यकारिणी की अनुमति से रोलर स्केटिंग एकाडमी को चलाने के लिये पिछले वर्ष की राशि में 10 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी के साथ किराया जमा करना होगा।
5. द्वितीय पक्ष रोलर स्केटिंग एकाडमी चलाने हेतु रूपया 1000/- (रूपया एक हजार)मात्र धनराशि प्रतिभूति स्वरूप प्रथम पक्ष के कोष में मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी के नाम ड्राफ्ट के रूप में जमा करेगा जिसकी वापसी रोलर स्केटिंग एकाडमी के संतोषजनक संचालन के पश्चात प्रथम पक्ष के सहायक क्रिकेट प्रशिक्षक द्वारा कार्य कुशलता प्रमाण पत्र पर वापस होगा।

- 6.यह कि द्वितीय पक्ष कार्गिलपार्क मोतीझील स्थित स्केटिंग पर एकाडमी चलाने हेतु सार्य 3:00 बजे से 7:00 बजे तक शर्तों के अधीन उपलब्ध कराये जायेंगे।
- 7.यह कि प्रथम पक्ष के पार्श्वदों,अधिकारियों/कर्मचारियों के आश्रित बच्चों एवं गरीब बच्चों को प्रशिक्षण निःशुल्क दिया जायेगा जिसकी सूची क्रीड़ा विभाग द्वारा समय समय पर दी जायेगी।
- 8.यह कि द्वितीय पक्ष रोलर स्केटिंग एकाडमी को सुचारू रूप से संचालित करने के लिये जो भी उपकरण इत्यादि स्वयं अपने स्तर से तथा द्वितीय पक्ष यह भी सुनिश्चित करेगा कि खिलाड़ियों के उत्थान तथा उनकी खेल प्रतिभा का सर्वांगीण विकास तथा स्केटिंग खेलने के उन्नयन एवं संबर्द्धन करने हेतु सभी प्रकार के हर सम्भव आवश्यक प्रयास सुनिश्चित किये जायेंगे।
- 9.यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा कार्गिलपार्क मोतीझील स्थित स्केटिंग रिंग तथा स्केटिंग खेल से सम्बन्धित नियमो,विनियमों एवं अपेक्षित अनुशासन एवं व्यवस्थाओं को कठोरता से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 10.यह कि द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष के कानपुर नगर निगम क्रीड़ा विभाग में कार्यरत सहायक क्रिकेट प्रशिक्षक के निर्देशानुसार कोचिंग/प्रशिक्षण का कार्य संचालित करेगा और वह प्रथम पक्ष के अधिकारियों/कर्मचारियों के तत्सम्बन्धी कार्यों में पूर्ण सहयोग प्रदान करेगा।
- 11.यह कि रोलर स्केटिंग एकाडमी से सम्बन्धित किसी भी प्रकार का प्रचार प्रसार प्रथम पक्ष के कार्गिलपार्क मोतीझील के अन्दर नहीं किया जायेगा।
- 12.यह कि अनुशासनहीनता एवं अनियमितता पाये जाने पर नगर आयुक्त द्वारा अनुबन्ध को निरस्त किया जायेगा।
- 13.यह कि उपरोक्त शर्तों का किसी प्रकार का उल्लेघन पाये जाने पर प्रथम पक्ष को पूर्ण अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्ष की जमा प्रतिभूति राशि रूपया 1000/- (रूपया एक हजार)मात्र को जब्त कर अनुबन्ध निरस्त कर दे।
- 14.यह कि उपरोक्त शर्तों से सम्बन्धित किसी विवाद की दशा में नगर आयुक्त,नगर निगम कानपुर को संदर्भित किया जायेगा और उनका ही निर्णय अंतिम होगा।
- ..... स्केटिंग का रू0 50/- प्रतिमाह प्रति बच्चा निर्धारित करते हुये निर्णय लिया गया कि गरीब बच्चों के लिये मा0 महापौर/नगर आयुक्त की स्वीकृत के उपरान्त निःशुल्क स्केटिंग की सुविधा प्रदान की जाये।

प्रस्ताव संख्या-1117 नगर आयुक्त के पत्र संख्या-डी/061/क्रीड़ा/15-16 दिनांक 20.05.15 माननीय कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ/स्वीकृतार्थ प्रेषित।

#### प्रस्ताव

नगर निगम के क्रीड़ा विभाग की आय बढ़ाने एवं शहर में उच्च स्तरीय क्रिकेट प्रशिक्षण व्यवस्था को पालिका स्टेडियम पर रणजी ट्राफी क्रिकेट खिलाड़ियों एवं समय- समय पर अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ियों से क्रिकेट का प्रशिक्षण दिलाकर राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश के खिलाड़ियों को तैयार करने के उद्देश्य से निम्नलिखित नियम/शर्तों के अधीन पुनः एक वर्ष के लिये श्री लोकेश धर्माधिकारी 11/218, सूटरगंज, कानपुर से अनुबन्ध किये जाने हेतु कार्यकारिणी के समक्ष स्वीकृति प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव प्रेषित है:-

1. प्राधिकारी (प्रथम पक्ष नगर निगम कानपुर) द्वारा पालिका स्टेडियम बृजेन्द्र स्वरूप पार्क आर्य नगर, कानपुर में क्रिकेट नर्सरी को सुचारू रूप से चलाने (संचालन) एवं प्रबन्धन तथा क्रिकेट की कोचिंग के लिये द्वितीय पक्ष की सेवाये प्राप्त करेगे।
2. कार्यकारिणी से प्रस्ताव पास होने के उपरान्त व अनुबन्ध की तिथि से एक वर्ष के लिये अनुबन्ध किया जायेगा किन्तु किसी भी पक्ष द्वारा लिखित रूप से एक महीने की पूर्व सूचना देकर बिना कारण बताये इसे समाप्त किया जा सकता है।



3. द्वितीय पक्ष (श्री लोकेश धर्माधिकारी) पालिका स्टेडियम पर क्रिकेट नर्सरी के नाम से शर्तों के अधीन क्रिकेट नर्सरी चलायेंगे। क्रिकेट नर्सरी में बच्चों को केवल क्रिकेट का प्रशिक्षण राष्ट्रीय, (रणजी ट्राफी) अन्तर्राष्ट्रीय, एन0आई0एस0, बी0सी0सी0आई0 से प्रशिक्षित क्रिकेट प्रशिक्षकों व प्रदेश स्तर के खिलाड़ियों से प्रशिक्षण दिलाया जायेगा, जिसकी जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी।
  4. द्वितीय पक्ष द्वारा पालिका स्टेडियम बृजेन्द्र स्वरूप पार्क पर क्रिकेट नर्सरी चलाने पर प्रथम पक्ष के क्रीड़ा विभाग में प्रति माह रू0 8800.00 (रू0 आठ हजार आठ सौ मात्र) किराये के रूप में जमा करना होगा। यह धनराशि एक वर्ष हेतु एकमुश्त रूपया 105600.00 (रू0 एक लाख पाँच हजार छः सौ मात्र) जमा करने होंगे तथा पूर्व वर्ष के कार्य को सन्तोषजनक पाये जाने पर तीसरे वर्ष कार्यकारिणी की अनुमति से क्रिकेट नर्सरी को चलाने के लिये पिछले वर्ष की राशि में 10 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी के साथ किराया जमा करना होगा एवं कार्यकारिणी की अनुमति पर दूसरे वर्ष के सन्तोषजनक कार्य पर तीसरे वर्ष क्रिकेट नर्सरी को चलाये जाने पर भी 10 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी के साथ किराया जमा करना होगा।
  5. द्वितीय पक्ष क्रिकेट नर्सरी चलाने हेतु रू0 25,000/- (रूपया पचीस हजार मात्र) की धनराशि प्रतिभूति स्वरूप प्रथम पक्ष के कोष में मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी के नाम से ड्राफ्ट के रूप में जो जमा है जिसकी वापसी क्रिकेट नर्सरी के सन्तोषजनक संचालन के पश्चात् प्रथम पक्ष के सहायक क्रिकेट प्रशिक्षण द्वारा कार्यकुशलता प्रमाण पत्र पर वापस होगा।
  6. यह कि द्वितीय पक्ष को पालिका स्टेडियम पर क्रिकेट नर्सरी चलाने हेतु क्रिकेट नेट प्रातः व सायंकाल सहायक क्रिकेट प्रशिक्षक द्वारा शर्तों के अधीन तैयार कर उपलब्ध कराये जायेंगे।
  7. यह कि प्रथम पक्ष के पार्षदों, अधिकारियों/कर्मचारियों के आश्रित बच्चों एवं गरीब बच्चों को प्रशिक्षण निःशुल्क दिया जायेगा जिसकी सूची क्रीड़ा विभाग द्वारा समय-समय पर दी जायेगी।
  8. यह कि द्वितीय पक्ष क्रिकेट नर्सरी को सुचारू रूप से संचालित करने के लिये नेट, बॉल, स्टम्प इत्यादि स्वयं अपने स्तर से तथा द्वितीय पक्ष यह भी सुनिश्चित करेगा कि खिलाड़ियों के उत्थान तथा उनकी खेल प्रतिभा का सर्वांगीण विकास तथा क्रिकेट खेलने के उन्नयन एवं संबर्द्धन करने हेतु, सभी प्रकार के हर सम्भव आवश्यक प्रयास सुनिश्चित किये जायेंगे।
  9. यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा पालिका स्टेडियम तथा क्रिकेट खेल से सम्बन्धित नियमों, विनियमों एवं अपेक्षित अनुशासन एवं व्यवस्थाओं को कठोरता से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
  10. यह कि द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष के पालिका स्टेडियम क्रीड़ा विभाग में कार्यरत सहायक क्रिकेट प्रशिक्षक के निर्देशानुसार कोचिंग/प्रशिक्षण का कार्य संचालित करेगा और वह प्रथम पक्ष के अधिकारियों/कर्मचारियों के तत्सम्बन्धी कार्यों में पूर्ण सहयोग प्रदान करेगा।
  11. यह कि क्रिकेट नर्सरी से सम्बन्धित किसी भी प्रकार का प्रचार प्रसार प्रथम पक्ष के पालिका स्टेडियम के अन्दर नहीं किया जायेगा।
  12. यह कि अनुशासनहीनता एवं अनियमितता पाये जाने पर नगर आयुक्त द्वारा अनुबन्ध को निरस्त किया जायेगा।
  13. यह कि उपरोक्त शर्तों का किसी प्रकार का उल्लंघन पाये जाने पर प्रथम पक्ष को पूर्ण अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्ष की जमा प्रतिभूति राशि रू0 25,000/- (रूपया पचीस हजार मात्र) को जब्त कर अनुबन्ध निरस्त कर दे।
  14. यह कि उपरोक्त शर्तों से सम्बन्धित किसी विवाद की दशा में नगर आयुक्त, नगर निगम, कानपुर को सन्दर्भित किया जायेगा, और उनका ही निर्णय अन्तिम होगा।
- ..... पुनः परीक्षण कर अगली कार्यकारिणी समिति की बैठक में प्रस्तुत किया जाये।

प्रस्ताव संख्या-1118 श्रीमती पूनम द्विवेदी, पार्षद द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव एवं मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, पर विचार करना:-

प्रस्ताव

विषय-बारातशाला के सन्दर्भ में।

निवेदन है कि वार्ड-77 श्याम नगर में भगवन टटिया गांव के लोग अत्यन्त निर्धन हैं, इन सभी को शादी विवाह समारोह करने के लिये काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। धन न होने के कारण महँगे गेस्ट हाउस इत्यादि में कार्यक्रम सम्पन्न कराना इनके लिये दिवास्वप्न जैसा है।

अतः नगर निगम की खाली पड़ी भूमि जहाँ पर अभी वर्तमान में गन्दगी पड़ी है वहाँ बरातशाला बनवा कर नगर निगम की जमीन का सदुपयोग हो जायेगा और निर्धनों को सुविधा मिल जायेगी। जनहित में अच्छा कार्य है। आपसे विनम्र निवेदन है कि एक बरातशाला बनवाने का कष्ट करें।  
..... निर्णय लिया गया कि भूमि के स्वामित्व का परीक्षण कर लिया जाये, यदि भूमि नगर निगम की है तो धन उपलब्धता के आधार पर अग्रिम कार्यवाही की जाये अन्यथा वैकल्पिक स्थल चिन्हित कर कार्यवाही की जाये।

प्रस्ताव संख्या-1119 श्री सत्येन्द्र कुमार मिश्रा, उपनेता सदन द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्ताव जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, पर विचार करना:-

प्रस्ताव

नगर निगम मुख्यालय स्थित जन्म-मृत्यु कार्यालय में पंजीयन हेतु एकल विन्डो प्रणाली लागू किये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। यह निर्णय जनहित में एवं सराहनीय है।

कानपुर नगर निगम में सचिवालय विभाग संचालित होता है, जिसमें मा0 पार्षदों, पदेन सदस्यों, पूर्व पार्षदों एवं जनप्रतिनिधियों का पत्राचार सचिवालय विभाग द्वारा संचालित किया जाता है।

वार्डों एवं शहर की जनता कई बार मा0 पार्षदों एवं जनप्रतिनिधियों से जन्म-मृत्यु का प्रमाण पत्र बनवाने हेतु अनुरोध करती है। मेरा प्रस्ताव है कि उक्त विषय हेतु सचिवालय जो नगर निगम मुख्यालय में स्थित है में मा0 पार्षदों, पूर्व पार्षदों एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा बनवाये जाने वाले जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र सचिवालय में बनाये जाने तथा वहीं से उक्त प्रमाण पत्र मा0 पार्षदों एवं जनप्रतिनिधियों को उपलब्ध कराये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।  
..... स्वीकृति प्रदान की गई।

प्रस्ताव संख्या-1120 श्री धीरेन्द्र त्रिपाठी, पार्षद वार्ड सं0 63 द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्ताव जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, पर विचार करना:-

प्रस्ताव

अवगत कराना चाहता हूँ कि कानपुर शहर में नागरिक समस्याओं में सीवर लाइनें चोक होने की समस्या प्रमुखतम है। सीवर लाइनें चोक होने के कारण सड़कों पर जल भराव होता है, जिससे बीमारियों फैलने का खतरा रहता है, यातायात प्रभावित होता है तथा सड़कें क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। इस समस्या के निराकरण में जल संस्थान अपने सीमित साधनों के कारण प्रभावी व त्वरित समाधान शहरवासियों को नहीं दे पा रहा है।

अतः मेरा प्रस्ताव है कि समस्या की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुये एक और सुपर सकर मशीन लायी जाये व इसके संचालन के खर्च की व्यवस्था का भी प्राविधान पहले से ही कर लिया जाये। जनहित में मेरा प्रस्ताव कार्यकारिणी समिति के समक्ष स्वीकृतार्थ प्रस्तुत है।  
..... स्वीकृति प्रदान की गई।

प्रस्ताव संख्या-1121 श्री आलोक दुबे, पार्षद वार्ड सं० 08 द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्ताव जो मा० महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, पर विचार करना:

प्रस्ताव

अवगत कराना है कि वार्ड से० 51 के अर्न्तगत नगर निगम के ए०एन०डी० कालेज हर्षनगर में ऑडिटोरियम है जो कुछ वर्षों पूर्व बनाया गया था परन्तु आज वो बन्द पड़ा है। उसकी दीवारें बरसात में जर्जर हो रही हैं तथा उसमें अराजक तत्वों का कब्जा हो रहा है। कार्यकारिणी के माध्यम से यथाशीघ्र आदेश पारित करके उसे ठीक करवायें ताकि बच्चे उसका प्रयोग कर सकें व छोटे-छोटे कार्यक्रमों का आयोजन भी नगर निगम में शुल्क जमा करके हो सके।  
..... निर्णय लिया गया कि ऑडिटोरियम को किसी राजनैतिक कार्यक्रम हेतु आवंटित नहीं किया जायेगा, यह सिर्फ बच्चों, छात्र-छात्राओं के कार्यक्रमों हेतु आवंटित किया जायेगा। इसकी नियम व शर्तें तैयार कर अगली कार्यकारिणी समिति की बैठक में प्रस्तुत किया जाये।

प्रस्ताव संख्या-1122 श्री हाजी सुहेल अहमद , उप-सभापति/नेता पार्षद दल द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्ताव जो मा० महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, पर विचार करना:-

विषय:- नगर निगम की अचल सम्पत्तियों के कागज गुम होने के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव

सादर अवगत कराना है कि कानपुर नगर निगम से सम्बन्धित तमाम अचल सम्पत्तियों के स्वामित्व सम्बन्धी कागज सम्पत्ति विभाग में पूछने पर कहा जाता है कि सम्बन्धित भूमि के कागज उपलब्ध नहीं है। जिसके कारण नगर निगम की काफी भूमि भू-माफियाओं द्वारा अवैध रूप से कब्जा हो गई है। जनोपयोगी कार्यों "जैसे बारातशाला, शौचालय, पार्क या दुकानें इत्यादि के लिए जगह नहीं उपलब्ध है। जबकि पूर्व में सम्पत्ति विभाग में तैनात श्री छेदी के पास उक्त समस्त नगर निगम की अचल सम्पत्तियों के अभिलेख मौजूद थे। वहीं श्री छेदी की सेवानिवृत्ति के उपरान्त ऐसा क्या हो गया कि नगर निगम का सम्पूर्ण रिकार्ड किसी को हस्तांतरित नहीं किया गया था रिकार्ड गायब करने के दोषी कौन हैं। वहीं मेरे संज्ञान में आया था कि पूर्व में कार्यवाहक नगर आयुक्त श्री उमाकांत त्रिपाठी जी के द्वारा नगर निगम की अचल भूमि व भवन के अभिलेखों को जोनल कार्यालयों व निगम कर्मियों की मदद से इकट्ठा किया गया था। किन्तु उनके स्थानान्तरण के उपरान्त उक्त अभिलेखों के गायब होने में भू-माफियाओं व नगर निगम के कर्मचारी जो इस रैकेट में संलिप्त हैं। उनका ही साथ व मिली भगत है। यदि उक्त अभिलेखों को ढूंढा नहीं गया तो निश्चित रूप से नगर निगम को काफी हानि उठानी पड़ेगी। वहीं पूर्व में नगर निगम में एक सेवानिवृत्त पी०सी०एस० अधिकारी को रक्खा गया था। जिनके द्वारा काफी मेहनत करके समस्त अचल सम्पत्तियों का एक ब्योरा मोटे रजिस्टर में बनाया गया था। बाद में उस मोटे रजिस्टर का भी अता-पता नहीं है। अतः मेरा मा० कार्यकारिणी के समक्ष आपसे सादर अनुरोध है कि पूर्व कर्मचारी श्री छेदी(सेवानिवृत्त) को नोटिस देकर यह पूछा जायें कि उनके द्वारा समस्त अचल सम्पत्तियों के अभिलेखों को किसको हस्तांतरित किया गया था। यदि उक्त सम्पत्तियों के कागज नहीं मिलते हैं तो उन सम्पत्ति विभाग के प्रभारी व कर्मचारियों को नोटिस (कानूनी रूप से) देकर पूछा जाये। यदि समय पर स्पष्ट उत्तर न मिले तो इनके खिलाफ पुलिस में एफ०आई०आर० दर्ज करा दी जाये व यदि इनमें से जिनकी सेवानिवृत्ति हो चुकी है बाद एफ०आई०आर० इनकी पेंशन इत्यादि दिये जाने पर रोक लगाई जाये। वहीं यदि इसके अलावा भी कोई दण्डात्मक कार्यवाही कानूनी रूप से हो सकती है। जैसे कि इनके द्वारा गिरोह बनाकर नगर निगम की अचल सम्पत्तियों को कब्जा करने व अभिलेखों को गायब किया गया है। उक्त तरह का आचरण ऐसा है कि दोषी कर्मचारियों व अधिकारियों पर "उ०प्र० गैंगेस्टर एक्ट, व "राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, के तहत जेल जाने के उपरान्त इनकी चल-अचल सम्पत्ती को सीज कर देना चाहिए। मेरा सुझाव है कि उक्त प्रकरण में अतिशीघ्र मा० कार्यकारिणी के द्वारा कोई नीति निर्धारित करके कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

नगर आयुक्त द्वारा अवगत कराया गया कि नगर निगम सम्पत्तियों के पूर्व से तैयार रजिस्टर को मैंने स्वयं देखा है तथा रजिस्टर की एक प्रति मुख्य अभियन्ता को इस आशय से उपलब्ध करा दी गई है, कि समस्त जोनल अभियन्ताओं को एक प्रति उपलब्ध कराते हुये नगर निगम की सम्पत्तियों का परीक्षण करा लें, यदि नगर निगम की किसी भी सम्पत्ति पर अवैध कब्जा हो तो उसे तुरन्त अवमुक्त कराया जाये।

मुख्य अभियन्ता द्वारा स्पष्ट किया गया कि सम्पत्ति विभाग से प्राप्त रजिस्टर की छायाप्रति प्रत्येक जोनल कार्यालय में उपलब्ध करा दी गई है तथा परीक्षण की कार्यवाही की जा रही है।

..... परीक्षण उपरान्त अगली कार्यकारिणी समिति की बैठक में प्रस्तुत किया जाये।

**प्रस्ताव संख्या-1123** श्री हाजी सुहेल अहमद , उप-सभापति/नेता पार्षद दल द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्ताव जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, पर विचार करना:-

विषय:- नगर निगम कानपुर के द्वारा जलकल विभाग कानपुर को तेरहवें वित्त आयोग मद से दी गई धनराशि क्रमशः 18 करोड़ रुपये व 10.50 करोड़ रुपये से कराये गये विकास कार्यों की सूची (सम्पूर्ण) मा0 कार्यकारिणी की प्रस्तावित बैठक में मंगाये जाने के सम्बन्ध में।

#### प्रस्ताव

सादर अवगत कराना है कि कानपुर नगर निगम के द्वारा दो बार क्रमशः रुपये 18 करोड़ व रुपये 10.50 करोड़ जलकल विभाग, कानपुर को तेरहवें वित्त आयोग के मद से दिये गये थे। जिसको अवमुक्त करने के उपरान्त यह कहा गया था कि हम उक्त धनराशि से नगर की जनता को कुछ राहत दे सकेंगे किन्तु अफसोस की बात है कि उक्त धनराशि से नाम मात्र ही काम हो सके जो कि मानक व गुणवत्ता के विपरीत है। शेष धनराशि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। फर्जी रूप से कार्यों के स्टीमेट बनाकर उनको गुपचुप अपने ठेकेदारों को देकर बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा किया गया है। यदि उक्त धनराशि को सही रूप से समायोजित किया जाता है तो निश्चित रूप से हम प्रत्येक वार्ड में कम से कम 25 से 30 लाख रुपये के कार्य करा सकते थे। जिससे नगर की आम जनता जो सीवर व पानी की समस्या से जूझ रही है। उसे कुछ न कुछ राहत जरूर मिल सकती। किन्तु परिस्थितियाँ जूँ कि तूँ हैं।

अतः आपसे सादर अनुरोध है कि (उक्त धनराशि से जलकल विभाग कानपुर के द्वारा क्या-क्या कार्य कराये गये तथा किस जोन व किस वार्ड के अर्न्तगत करये गये, वहाँ पर उनकी क्या आवश्यकता थी) इस सम्बन्ध में जलकल महाप्रबन्धक को आदेशित करने का कष्ट करें कि समस्त सूची व आख्या से मा0 कार्यकारिणी की (प्रस्तावित) बैठक को अवगत कराये व सम्बन्धित कार्यों की सूची मा0 पार्षदों को भी दिये जाने का आदेश पारित करें तथा सम्बन्धित कार्यों के सत्यापन व जाँच नगर निगम के मुख्य अभियन्ता द्वारा कराये जाने का भी आदेश पारित करें।

मुख्य अभियन्ता ने अवगत कराया कि उपरोक्त कार्य की धनराशि समिति द्वारा स्वीकृत कर दी गई है किन्तु महाप्रबन्धक जलकल द्वारा अभी तक उक्त धनराशि अवमुक्त नहीं कराई गई है।

..... निर्णय लिया गया कि शीघ्र धनराशि अवमुक्त कराकर कार्यवाही कराते हुये अगली कार्यकारिणी समिति में सम्पूर्ण धनराशि के उपयोग का विवरण प्रस्तुत करें।

**प्रस्ताव संख्या-1124** श्री हाजी सुहेल अहमद , उप-सभापति/नेता पार्षद दल द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्ताव जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, पर विचार करना:-

विषय:- कानपुर नगर निगम के अन्तर्गत बनने वाली हाट मिक्स प्लान्ट की सड़को के मैटेरियल व गुणवत्ता की जाँच करने हेतु लैब टेक्नीशियन की नियुक्ति करने के सम्बन्ध में।

#### **प्रस्ताव**

सादर अवगत कराना है कि कानपुर नगर निगम के अन्तर्गत सैकड़ों सड़को का निर्माण हो रहा है। जिसमें अधिकांश सड़को पर कार्य मानक व गुणवत्ता के विपरीत हो रहा है। जिस तरह मौजूदा स्थिति में अरबों रुपये की सड़को प्रति वर्ष नगर निगम के द्वारा बनवाई जा रही है। इस के मद्देनजर हॉट मिक्स प्लांट के मैटेरियल की जाँच होना अति आवश्यक है। किन्तु दुर्भाग्य की बात है कि नगर निगम के उक्त कार्यों/मैटेरियल की जाँच हेतु एक मोबाइल लैब व लैब टेक्नीशियन की नियुक्ति होना अति आवश्यक है।

हाल में ही नगर में हुई थोड़ी सी बारिश में जोन-4 के अन्तर्गत ग्वालटोली की सड़क व "मा0 मुख्यमंत्री त्वरित आर्थिक विकास योजना के अन्तर्गत 8 माह पूर्व बनी सड़क" हलीम कालेज चौराहे से डा0 धीरेन्द्र चौराहा पी0 रोड तक की बनी सड़क पूर्ण रूप से ध्वस्त हो चुकी है। जाँच न होने के कारण बन रही सड़को निर्धारित समय सीमा से पहले ही उखड़ रही है।

मौके पर ही सड़क बनते समय मानक व गुणवत्ता की जाँच होने से सड़को की गुणवत्ता भी बेहतर हो सकेगी और सड़को अधिक समय तक चल सकेंगी। वहीं लैब टेस्टिंग के उपरान्त यदि निर्माण सामग्री में किसी भी प्रकार की कमी (तारकोल व ग्रेट मिक्सिंग) पाई जाती है तो नगर निगम के मानक के अनुरूप कार्य न करने वाली फर्मों के खिलाफ दण्डात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करे। उक्त स्थितियों के देखने के उपरान्त नगर निगम में लैब टेक्नीशियन व टेस्टिंग हेतु मोबाइल लैब का होना अति आवश्यक है।

अतः मा0 कार्यकारिणी के समक्ष आपसे सादर अनुरोध है कि हॉट मिक्स प्लांटों द्वारा बनवाई जा रही सड़को की जाँच हेतु नगर निगम में शासन द्वारा स्वीकृत कराके या स्थानीय स्तर पर माननीय कार्यकारिणी या मा0 सदन के द्वारा अनुमोदन कराके एक मोबाइल लैब व लैब टेक्नीशियन को नियुक्त करने का आदेश पारित करने का कष्ट करें। नगर हित में उक्त कार्य का किया जाना अति आवश्यक है। ताकि सड़को के निर्माण पर खर्च होने वाली भारी भरकम धनराशि का सही उपयोग हो सके।

नगर आयुक्त द्वारा अवगत कराया गया कि मैं स्वयं आकस्मिक निरीक्षण कर गुणवत्ता की जाँच विभिन्न अधिकृत एजेन्सियों यथा एच.बी.टी.आई., पी.एस.आई. टी. आदि संस्थानों से कराता हूँ। अभी कुछ दिनों पूर्व दो सेम्पल मंगवा कर परीक्षण हेतु लखनऊ प्रयोगशाला भेजे गये हैं, जिनकी रिपोर्ट अपेक्षित है।

..... सड़को के निर्माण में प्रयोग होने वाली सामग्री की जाँच हेतु नगर निगम द्वारा मोबाइल लैब की व्यवस्था व लैब टेक्नीशियन की नियुक्ति सम्बन्धी प्रस्ताव का पुनः परीक्षण कर लिया जाये।

**प्रस्ताव संख्या-1125** श्री महेन्द्र नाथ शुक्ला , पार्षद वार्ड सं0 65 द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्ताव जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, पर विचार करना:-

#### **प्रस्ताव**

सादर अवगत कराना है कि नगर निगम के चहेते विधायकों की रू0 10 लाख के अन्तर्गत विकास कार्यों की कई करोड़ों की पत्रावलियाँ बनाकर टेण्डर करा दिये गये हैं और उनमें से कई पत्रावलियाँ 24 घण्टे के अन्दर तैयार करवा कर उसके टेण्डर भी करवाये जा रहे हैं, जब कि प्रदेश की अन्य नगर निगमों में ऐसा

ह0.....महापौर

नहीं हो रहा है। यहाँ के अधिकारीगण स्वयं विधायकों के घर जाकर उनसे पूछ कर कार्यों का आगणन तैयार करते हैं, जब कि पार्षदों से कहा जाता है कि कोटा खत्म हो गया है। मेरा आपसे निवेदन है कि नगर निगम के समस्त जोनों में विकास कार्यों की अब तक जो भी पत्रावलियों बनी हैं, उनका परीक्षण करा लिया जाये तो स्वतः स्पष्ट हो जायेगा कि नगर निगम में पार्षदों से ज्यादा विधायकों द्वारा तैयार कराई गई पत्रावलियों के कार्य हुये हैं।

आदरणीय मेरा आपसे आग्रह है कि इसकी जाँच कराई जाये तथा सदन व कार्यकारिणी में प्रस्ताव पारित कर यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि जब विधायक अपना कोटा दे तब ही उनके क्षेत्रों में विकास कार्य कराये जाये अन्यथा नहीं।

कानपुर महानगर के विधायक नगर निगम के पार्षदों के अधिकारों का हनन कर रहे हैं। कई पत्र आप भी पार्षदों के कार्यों के लिये लिखते हैं, किन्तु अधिकारियों द्वारा उन पत्रों को काफी देर में संज्ञान में लेते हैं जब कि विधायकों के पत्रों पर तत्काल कार्यवाही होती है।

अतः माननीय मेरा प्रस्ताव है कि जब मा0 विधायकों द्वारा अपना कोटा दिया जाये तब ही नगर निगम द्वारा उनके क्षेत्रों में विकास कार्य कराये जाये अन्यथा नहीं।

प्रस्ताव मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

..... निर्वाचित पार्षदों के द्वारा दिये गये विकास कार्यों से सम्बन्धित पत्रों पर प्राथमिकता पर कार्यवाही कराते हुये प्रत्येक वार्ड में समानता के आधार पर कार्य कराये जाये।

**प्रस्ताव संख्या—1126** श्री आलोक दुबे , पार्षद वार्ड सं0 51 द्वारा प्रस्तुत एवं 02 पार्षदों द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्ताव जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, पर विचार करना:—

विषय:— नगर निगम द्वारा संचालित बरातशालाओं में जमा जमानत राशि वापसी में होने वाली दिक्कतों के सन्दर्भ में।

#### प्रस्ताव

आपको सादर अवगत कराना है कि नगर निगम की बरातशालाओं में बुकिंग के समय जो जमानत के तौर पर राशी ली जाती है कार्य के उपरान्त वापसी में हमारे बाबुओं की लापरवाही से आम आदमी की चप्पलें घिस जाती हैं तब वह सेटिंग से आधे पैसे प्राप्त कर पाता है जिससे क्षेत्रीय पार्षद को भी बेहद शर्मसार होना पड़ता है अतः आपसे अनुरोध है कि जमानत राशी कार्य के उपरान्त सब ठीक होने पर पार्षद के लेटर पैड पर रसीद लगा कर बाबू द्वारा ही समय सीमा के अर्न्तगत राशी वापसी का आदेश जनहित में देने का आदेश पारित करें ताकि लोगों को भटकना न पड़े।

..... परीक्षण कराकर अधिकतम एक सप्ताह के अन्दर जमानती धनराशि की वापसी सुनिश्चित की जाये।

**प्रस्ताव संख्या—1127** श्री आलोक दुबे , पार्षद वार्ड सं0 51 एवं श्री आशुतोष त्रिपाठी, पार्षद व श्री नवीन पंडित , पार्षद द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्ताव जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, पर विचार करना:—

#### प्रस्ताव

आपको सादर अवगत कराना है कि पनकी के हनुमान जी के मन्दिर के पहले अति प्राचीन शिव मन्दिर के प्रांगण में कछुआ तालाब है जिसमें दुर्लभ प्रजाति के बड़े-बड़े कछुए हैं जिनको देखने हेतु दूर दूर से लोग आते हैं परन्तु उक्त स्थान में सुन्दरीकरण की आवश्यकता है प्रचण्ड गर्मी में तालाब का पानी

ह0.....महापौर

सूखने की कगार पर आ जाता है जिससे दुर्लभ कछुओं का अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है उत्तर प्रदेश में इस प्रकार का दूसरा स्थान नहीं है अतः जनहित में यथाशीघ्र कछुआ तालाब के सुन्दरीकरण का आदेश पारित करें।

..... सर्वप्रथम कछुआ तालाब के चारो तरफ बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कराया जाये तत्पश्चात् उक्त तालाब का सुन्दरीकरण कराये जाने की कार्ययोजना तैयार कर प्रस्तुत की जाये।

**प्रस्ताव संख्या-1128** श्री आलोक दुबे , पार्षद वार्ड सं० 51 एवं 04 मा० पार्षदो द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्ताव जो मा० महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, पर विचार करना:-

#### प्रस्ताव

सादर अवगत कराना है कि ए टू जेड बिना किसी को बताये गायब हो गया है तथा प्लान्ट बन्द पड़ा है। नगर निगम के काफी वाहन खराब हालत में उसके पास खड़े हैं। प्लान्ट न चालू होने से कूड़े का ढेर लगता जा रहा है। तरह-तरह की बिमारियाँ फैल रही हैं तथा आये दिन वहाँ पड़े ढेर से आग लगती है जिससे जान-माल का खतरा है। जनहित में उपरोक्त प्लान्ट चालू होना अत्यन्त आवश्यक है। ज्ञात हुआ है कि पूर्व में दो वर्कशापा थे, जो एक ही जगह स्थित हैं और आपस में विलय हो गया है।

अतः मेरा यह प्रस्ताव है कि वर्कशाप के टेक्निकल स्टॉफ फोरमैन श्री अनुपम गुप्ता, स्टोर कीपर श्री सुनील निगम विभागीय मिस्त्रियों से वाहन को वही पर खुलवाकर उसकी मरम्मत करवाने हेतु पदस्थ किया जाय। इनके पदस्थ होने से प्लान्ट भी चालू हो सकेगा तथा कूड़े के डिस्पोजल की निगरानी भी रहेगी। जनहित में उपरोक्त कार्य तुरन्त कराया जाये।

श्री हाजी सुहेल अहमद, उप सभापति ने कहा कि वर्कशाप में कार्यरत फोरमैन श्री अनुपम गुप्ता, श्री सुनील निगम व अन्य कर्मचारियों को वर्कशाप से स्थानान्तरित कर अन्यत्र विभाग में पदस्थ किया जाये, क्योंकि इनके विरुद्ध अनेक शिकायतें समय-समय पर प्राप्त होती रहती हैं, जिसका समर्थन बैठक में अन्य सदस्यों द्वारा भी किया गया।

..... शिकायत की जाँच कराकर शीघ्र कार्यवाही की जाये।

**प्रस्ताव संख्या-1129** श्री महेन्द्र नाथ शुक्ला , पार्षद वार्ड सं० 65 द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्ताव जो मा० महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, पर विचार करना:-

#### प्रस्ताव

वार्ड 65 गान्धी नगर कानपुर में ज्वाला देवी रोड पूर्णतया क्षतिग्रस्त हो गयी है। इसकी सड़क नालियां व इन्टर लाकिंग फुटपाथ पर लगनी है। यह कार्य आप किसी योजना के तहत करवाने के आदेश प्रदान करने का कष्ट करें। कार्य जनहित में अति आवश्यक है।

..... फुटपाथ व नाली का निर्माण कराने के साथ कार्य कराये जाने हेतु स्वीकृत प्रदान की गई।

**प्रस्ताव संख्या-1130** श्रीमती सन्नो कुशवाहा पार्षद द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव एवं मा० महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, पर विचार करना:-

#### प्रस्ताव

विषय:-वार्ड कार्यालय के सम्बन्ध में।

अवगत कराना है कि वार्ड नं० 58 बसंत विहार के अर्न्तगत श्री शिवबालक दुबे म०सं० 137 पुरानी बस्ती (नौबस्ता गॉव)के समीप ग्राम समाज की खाली पड़ी भूमि पर क्षेत्रीय निवासियों द्वारा कई बार कब्जे का प्रयास किया जा रहा है। आपसे अनुरोध है कि नगर निगम निधि से वार्ड कार्यालय बनवाने की कृपा

ह०.....महापौर

करें।वार्ड कार्यालय न होने से सफाई कर्मचारियों का सामान आये दिन चोरी हो जाता है।वार्ड के सामान हेतु नगर निगम कर्मचारी दूसरे वार्ड की शरण में जाने के लिये मजबूर हैं। वार्ड कार्यालय होने से नगर निगम कर्मचारियों को राहत मिलेगी अनावश्यक भागदौड़ से समय बचेगा।  
..... भूमि के स्वामित्व का परीक्षण कराकर अगली कार्यकारिणी समिति की बैठक में प्रस्तुत करें।

**प्रस्ताव संख्या-1131** श्री कौशल कुमार मिश्रा पार्षद द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव एवं मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, पर विचार करना:-

**प्रस्ताव**

विषय:-केशव पुरम आवास विकास-1 " द्वारा विद्युत खण्ड-3" सेक्टर एच के शेष भाग सेक्टर आई,जे,के,एल,एम,एन,ओ, तथा सेक्टर पी की मार्ग प्रकाश व्यवस्था पूर्ण रूप से " मार्ग प्रकाश नगर निगम" को हस्तान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।

सादर अवगत कराना है कि केशवपुरम आवास विकास योजना -1 सेक्टर एच का शेष भाग तथा सेक्टर आई,जे,के,एल,एम,एन,ओ तथा पी जो कि वर्तमान में विद्युत खण्ड-3 केशवपुरम आफिस काम्प्लेक्स आवास विकास परिषद कल्याणपुर कानपुर के आधीन है जैसा कि मुझे ज्ञात हुआ है कि उक्त योजना की मार्ग प्रकाश व्यवस्था"मार्ग प्रकाश विभाग नगर निगम को हस्तांतरित करने की कार्यवाही विभागीय सतर पर सक्षम अधिकारियों के बीच जारी है।"वर्तमान में

केशवपुरम की मार्ग प्रकाश व्यवस्था अत्यन्त दयनीय अवस्था में है लगभग 1 दर्जन हाईमास्क टावर लाइट(1 हाई मास्क में 8 लाइटें)लगी हैं जिसमें से 80%पूर्णतया बन्द हैं अन्य प्रकाश बिन्दुओं में से 70%लाइटें बन्द हैं तथा अत्यन्त जर्जर अवस्था में हैं।

अतः आदरणीय से सादर निवेदन है कि हस्तान्तरित होने वाले मार्ग प्रकाश बिन्दुओं की बिन्दुवार जाँच विश्वसनीय अधिकारी द्वारा करवाने का आदेश जारी करने की कृपा करें जिससे भविष्य में हस्तान्तरित होने के बाद मार्ग प्रकाश विभाग नगर निगम पर अतिरिक्त भार न आये।

सादर प्रस्तुत कार्यकारणी समक्ष।

बैठक में मुख्य अभियन्ता (मार्गप्रकाश) द्वारा अवगत कराया गया कि अभी तक आवास-विकास से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

..... प्रस्ताव प्राप्त होने पर परीक्षण कराकर कार्यकारिणी समिति के समक्ष निर्णय हेतु प्रस्तुत किया जाये।

**प्रस्ताव संख्या-1132** श्री विनय अग्रवाल, पार्षद द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव एवं मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, पर विचार करना:-

**प्रस्ताव**

विषय:-वार्ड 64 जोनल-5 में बारात शाला का निर्माण नगर निगम के पार्क शिव मन्दिर पार्क सी ब्लाक में भवन का निर्माण कार्य।

वार्ड 64 , जोनर-5 स्वराज नगर पनकी में बारात शाला का निर्माण होना जनहित में अति आवश्यक है। शहर का बाहरी क्षेत्र होने से लोगों को मांगलिक कार्यक्रम करने में काफी परेशानियां होती है। जनहित में मा0 कार्यकारिणी के सदन के माध्यम से स्वीकृतार्थ प्रेषित । कृपया आगणन कार्य करवा कर जनहित में बारात शाला क्षेत्र को नगर निगम के माध्यम से प्राप्त हो सके।

..... भूमि के स्वामित्व का परीक्षण कराकर अगली कार्यकारिणी समिति की बैठक में प्रस्तुत करें।



**प्रस्ताव संख्या-1133** श्री धर्मनाथ मिश्रा पार्षद द्वारा प्रस्तुत एवं श्री नवीन पण्डित द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्ताव जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, पर विचार करना:-

**प्रस्ताव**

**विषय:-नौ-सेना के शहीद स्व0 आलोक साहू द्वार व चौक बनवाने हेतु।**

उपरोक्त विषय में अवगत कराना चाहता हूँ कि स्व0 आलोक साहू पुत्र श्री पुत्ती लाल साहू 13 अगस्त, 2013 की रात्रि पनडुब्बी दुर्घटना में शहीद हो गये थे उक्त पनडुब्बी दुर्घटना में कई और सैनिक भी शहीद हुये तथा शव तक का पता नहीं लगा।

महोदय उक्त दुर्घटना के बाद प्रदेश के मुख्य मंत्री श्री अखिलेश यादव जी भी सैनिक के घर संवेदना प्रगट करने आये थे जिसमें उन्होंने परिवार को आर्थिक सहायता के साथ नया सेण्टर चौराहा बाबूपुरवा कालोनी में शहीद स्व0 आलोक साहू द्वार व चौक बनवाने हेतु आश्वासन दिया था किन्तु अभी तक कोई कार्य नहीं हुआ है। अतः आपसे अनुरोध है कि बाबूपुरवा कालोनी नया सेण्टर चौराहा पर शहीद का द्वार लगाकर चौक बनावाने की कृपा करें।

सभापति ने मुख्य अभियन्ता को निर्देशित किया कि नामकरण सम्बन्धी समस्त प्रस्ताव नामकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत कर उनको अन्तिम रूप देते हुये अगली कार्यकारिणी समिति के बैठक में अवगतक कराया जाये।

..... चौक व पार्क बनवाये जाने के सम्बन्ध में मुख्य अभियन्ता परीक्षण कर कार्यवाही करायें।

**प्रस्ताव संख्या-1134** श्री राकेश साहू , पार्षद वार्ड सं0 72 एवं 09 मा0 पार्षदो द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्ताव जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, पर विचार करना:-

**प्रस्ताव**

**विषय:- वार्ड 72 नसीमाबाद में क्रियाघर बनाये जाने के सम्बन्ध में।**

सादर अवगत कराना है कि वार्ड 72 नसीमाबाद में क्रियाघर न होने से लोगो को मुत्यु उपरान्त कर्मकाण्ड करने में औरतो व बच्चो को दूर जाना पड़ता है जिससे लोगो को काफी परेशानी उठानी पड़ती है।

अतः आपसे निवेदन है कि नसीमाबाद पार्क में क्रियाघर बनाने के आदेश देने की कृपा करे जिससे लोगो को मुत्यु उपरान्त कर्मकाण्ड में होनी वाली परेशानी से राहत दिलाई जा सकें।

..... स्वीकृति प्रदान की गई।

**प्रस्ताव संख्या-1135** श्री प्रकाश हजारिया, संचालक, महर्षि वाल्मिकि जन्मोत्सव केन्द्रीय मेला कमेटी, मोतीझील, कानपुर द्वारा दिनांक 26.05.15 द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव एवं मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, पर विचार करना:-

**विषय:- महर्षि वाल्मिकि जयन्ती समारोह एवं भण्डारे हेतु लानं नं0 एक मोतीझील आवंटन करने के सम्बन्ध में।**

उपरोक्त विषयक निवेदन है कि महर्षि वाल्मिकि जी का जन्मोत्सव मेला दिनांक 27.10.2015 शरद पुर्णिमा को होना है मेले में भारी संख्या में भीड़ आने से वाल्मिकि उपवन में जगह नहीं रहती है आपने गत वर्ष मेला कमेटी के निवेदन को स्वीकार कर धोषणा की थी कि आगामी वर्षो के शरद पूर्णिमा के दिन होने वाले महर्षि वाल्मिकि जन्मोत्सव मेले के लिये लानं नं0 एक निशुल्क आवंटन किया जायेगा।

आपसे मेला कमेटी निवेदन शील है, कि दिनांक 27.10.15 शरद पूर्णिमा महर्षि वाल्मिकि जयन्ती हेतु लानं नं0 एक मोतीझील निशुल्क आवंटन करने की कृपा करें।

ह0.....महापौर

..... स्वीकृति प्रदान की गई।

प्रस्ताव संख्या-1136 श्री मनोज सेंगर, अभियान प्रमुख, युग दधीच देहदान संस्थान, (रजि0) , 220/6, जे0के0कालोनी,जाजमऊ, कानपुर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव एवं मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, पर विचार करना:-

विषय:- दिवंगत देहदानियों की स्मृति में " देहदानी स्मृति स्तम्भ" की स्थापना हेतु निवेदन।

युग दधीच देहदान अभियान के जनकल्याणकारी कार्यों से आप पूर्णतः सुपरिचित ही है, साथ ही हमारे वरिष्ठ संरक्षक के रूप में समय समय पर हमारा उत्साहवर्धन भी करते रहते हैं। अभियान द्वारा अब तक 136 पार्थिव देह चिकित्सा जगत को सौंप कर न केवल एक कीर्तिमान स्थापित किया गया है वरन् कानपुर को एक नई पहचान भी प्रदान की गई है।

इसी क्रम में श्रीमान् जी से निवेदन है कि दिवंगत देहदानियों की कीर्ति को अमर बनाये रखने हेतु महानगर में नगर निगम के सहयोग से एक " देहदानी स्मृति स्तम्भ" का निर्माण किया जा सके तो अति उत्तम होगा। इस स्तम्भ पर दिवंगत देहदानियों के नाम लिखे होंगे ताकि आने वाली पीढ़ी अपने नगर के स्वनामधन्य नागरिकों के महासमर्पण से परिचित हो सकें।

आपके स्नेह सानिध्य एवं मृदुल संरक्षण ने इस अभियान को नई ऊँचाइयां प्रदान की है, इस कार्य में भी आपका मार्गदर्शन सदैव की भांति प्राप्त होगा यह विश्वास है।

..... मुख्य अभियन्ता उपयुक्त स्थल का चयन कर कार्यवाही सुनिश्चित करायें।

टेबुल प्रस्ताव संख्या-1137- अपर नगर आयुक्त (द्वितीय) द्वारा प्रस्तुत एवं नगर आयुक्त द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार करना :-

प्रस्ताव

नगर निगम, कानपुर में मेसर्स रेलटेल कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि0 से 03 वर्षों के लिये 20 एम.बी.पी.एस. स्पीड की इण्टरनेट लीज लाइन की सेवा हेतु कुल धनांक रू0 17,49,000.00 (रू0 सत्रह लाख उन्चास हजार) एवं सर्विस टैक्स के व्यय एवं भुगतान की स्वीकृति प्राप्त किये जाने हेतु विचारार्थ प्रस्तुत है।

अतः कुल धनांक रू0 17,49,000.00 (रू0 सत्रह लाख उन्चास हजार) एवं सर्विस टैक्स के व्यय एवं भुगतान का प्रस्ताव मा0 कार्यकारिणी समिति की समक्ष स्वीकृतार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

..... स्वीकृति प्रदान की गई।

टेबुल प्रस्ताव संख्या-1138- नगर स्वास्थ्य अधिकारी (चि0) द्वारा प्रस्तुत एवं नगर आयुक्त द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार करना :-

प्रस्ताव

नगर आयुक्त महोदय को सम्बोधित डा0 एस0पी0सिंह यादव, चिकित्सक दै0वे0 एवं 03 अन्य दै0वे0 चिकित्सकों के पत्र के साथ द्वारा मा0 महापौर को सम्बोधित श्री सतीश कुमार निगम, मा0 विधायक, समाजवादी पार्टी के पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा चिकित्सा विभाग में कार्यरत दै0वे0 चिकित्सकों के दैनिक भत्ते में वृद्धि किये जाने के लिये उचित प्रस्ताव मा0 कार्यकारिणी से अनुमोदित कराने के लिये लिखा गया है। दै0वे0 चिकित्सकों ने अपने पत्र के साथ में जिस शासनादेश का उल्लेख किया है वह राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (एन0यू0एच0एम0 फ्लैक्सीपूल) से सम्बन्धित पत्र है जिसके कोड सं0 4.3.3.1.1-में मेडिकल आफिसर की सैलरी का

ह0.....महापौर

उल्लेख है, जिसके अनुसार फुल टाइम संविदा चिकित्सक— इन अरबन हेल्थ पोस्ट में पूर्व से कार्यरत 01 एम.बी.बी.एस. संविदा चिकित्सक के मानदेय हेतु रू0 39,600.00 प्रतिमाह प्रति संविदा चिकित्सक की दर से स्वीकृत है। यह शासनादेश नगर निगम में कार्यरत दै0वे0 चिकित्सकों पर लागू नहीं होता है।

यहाँ पर यह भी कहना उचित होगा कि चूँकि नगर निगम, कानपुर में कार्यरत दैनिक वेतन चिकित्सक का भत्ता बढ़ाये जाने सम्बन्धी शासनादेश सं0 488/89-7-09-10सी0क्यू/01 दिनांक 23 दिसम्बर, 2009 शासन (विशेष सचिव, नगर विकास अनुभाग-7) द्वारा जारी किया गया है, अस्तु भविष्य में इनके भत्ते में जो भी वृद्धि हो सकती है वह शासन के निर्देश से ही की जा सकती है।

श्री एस0पी0सिंह यादव चिकित्सक दै0वे0 एवं 03 अन्य दै0वे0 चिकित्सकों के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर विचार करने के लिये मा0 कार्यकारिणी समिति/मा0 सदन के माध्यम से दैनिक भत्ते में वृद्धि का प्रस्ताव पारित करवा कर शासन को विचारार्थ प्रेषित किये जाने हेतु टेबुल प्रस्ताव प्रस्तुत है, जिसमें मा0 कार्यकारिणी वर्तमान में इन चिकित्सकों को प्राप्त हो रहे रू0 400.00/- (रू0 चार सौ) प्रतिदिन से अधिक वृद्धि पर प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत है।

..... स्वीकृति प्रदान करते हुये सदन को अग्रसारित किया गया।

सभी सदस्यों ने महानगर में पेयजल संकट को देखते हुये प्रत्येक वार्ड में दो-दो हैण्डपम्प लगवाये जाने हेतु सभापति से मांग की।

मुख्य अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्ताव तैयार है। जिस पर नगर आयुक्त ने आश्वस्त किया कि हैण्डपम्प लगवाये जाने के सम्बन्ध में प्राथमिकता पर कार्यवाही की जायेगी।

श्री विनोद कुमार गुप्ता, प्रभारी अपर नगर आयुक्त ने आज सौहार्दपूर्ण ढंग से सम्पन्न हुई कार्यकारिणी समिति बैठक के लिये सभी को धन्यवाद दिया।

सभापति ने सभी सदस्यों से आज दिनांक-22.06.2015 को सम्पन्न हुई कार्यकारिणी समिति की बैठक की पुष्टि हेतु अपना-अपना अभिमत व्यक्त करने हेतु कहा।

..... सभी सदस्यों द्वारा आज दिनांक-22.06.2015 को सम्पन्न हुई कार्यकारिणी समिति की बैठक की कार्यवाही की पुष्टि की गई।

सधन्यवाद बैठक का समापन हुआ।

ह0.....

( जगतवीर सिंह द्रोण )  
महापौर/सभापति